




Hardi Bazar, Chhattisgarh, India  
8G8V+4W8, Hardi Bazar, Chhattisgarh 495446  
Lat 22.315387°  
Long 82.544212°  
22/11/21 11:30 AM



Hardi Bazar, Chhattisgarh, India  
8G8V+4W8, Hardi Bazar, Chhattisgarh 495446  
Lat 22.315422°  
Long 82.544376°  
22/11/21 11:37 AM



Hardi Bazar, Chhattisgarh, India  
8G8V+4W8, Hardi Bazar, Chhattisgarh 495446, India



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय  
हरदीबाजार, जिला-कोरबा (छ.ग.)


E-mail id-gbyphardibazar@gmail.com, विशिष्ट कोड-3109, Contact No. 9425227782

हरदीबाजार दिनांक 10/08/2018

// आवश्यक सूचना //

महाविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्षों को सूचित किया जाता है कि ग्रंथालय में संदर्भ पुस्तकें कय की जानी है . इस हेतु प्रत्येक विभागाध्यक्ष अपने-अपने विषय से संबंधित पच्चीस हजार मूल्य के संदर्भ पुस्तकें प्रकाशक एवं मूल्य की सम्पूर्ण जानकारी सहित सूची बनाकर दिनांक 20/08/2018 तक अनिवार्य रूप से ग्रंथालय विभाग में जमा करें ।



  
डॉ. टी. डी. वैष्णव

प्राचार्य



Principal

Govt. Gramya Bharati College  
Haradi Bazar, Dist. Korba (C.G.)

SAMPLE



University Grants Commission  
Central Regional Office  
Bhawa Complex (Bittan Market),  
S, ARERA COLONY, BHOPAL-462 016  
Ph: 0755-2467418, 2467892,  
Fax: 0755-2467893, web site: www.ugc.ac.in



मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
(Ministry of Human Resource  
Development)  
भारत सरकार  
Govt. of India



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  
राज्य क्षेत्रीय कार्यालय  
तथा काम्प्लेक्स (बिट्टन मार्केट)  
ई-8, अरेरा कालोनी  
भोपाल - 462016 (म.प्र.)

File No.-GD/201044/XII/14-15/CRO / 233.

Date: .....

30 MAR 2016

To  
The Accounts Officer,  
Central Regional Office,  
University Grants Commission,  
Bhopal (M.P.)

Sub: Sanction of Adhoc grant under the scheme of Plan Block Grants (PBG) during XII Plan period.

Sir/Madam,

I am directed to convey the sanction of the Commission for payment of Rs. 16,24,000/- (Rs. Sixteen Lakh and twenty four thousand Only) to Gramya Bharti Vidyapeeth, Hardi Bazar, Korba (Chhattisgarh) for the XII plan period as detailed below and is valid for payment by the account office of UGC during the financial year 2016-2017 only.

| AMOUNT ALLOCATED              |                             | (In Rupees)            |     |                          |        |                                   |        |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----|--------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| Rs. 16,24,000/- (40%)         |                             | Grants released so far |     | Grant-being released now |        | Total grant released for XII plan |        |
| Capital (80%)                 | GIA (20%)                   | Capital                | GIA | Capital                  | GIA    | Capital                           | GIA    |
| Books & Journals & Equipments | Other Recurring Expenditure | Nil                    | Nil | 1299200                  | 324800 | 1299200                           | 324800 |

2. The sanctioned amount is debatable to Head of Account as detailed below-

**Capital Assets (35)**

| Amount sanctioned (Rs.) | For SC (Rs.) (15%) | For ST (Rs.) (7.5%) | For General (Rs.) (77.5%) |
|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
| 1299200                 | 194880<br>2D (i)   | 97440<br>2D (ii)    | 1006880<br>2 (B)          |

**GRANTS IN AID (31)**

| Amount sanctioned (Rs.) | For SC (Rs.) (15%) | For ST (Rs.) (7.5%) | For General (Rs.) (77.5%) |
|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
| 324800                  | 48720              | 24360               | 251720                    |


- The sanctioned grant may be treated as "Adhoc on account" grant for XII plan.
- The grant sanctioned has to be spent as per XII plan guidelines for Capital and GIA except Building available on UGC website [www.ugc.ac.in](http://www.ugc.ac.in).
- In case the college is not willing to avail the XII Plan GDA, the college may immediately refund the released grant.
- The amount of the grant shall be drawn by the Account Officer, UGC, CRO, Bhopal (Drawing and Disbursing Officer), University Grants Commission on the Grants-in-aid bill and shall be disbursed to and credited to the Principal, Gramya Bharti Vidyapeeth, Hardi Bazar, Korba (Chhattisgarh), by him/her through RTGS/NEFT.

The Grant is subject to the Adjustment on the basis of Utilization Certificate in the prescribed Form submitted by the college.

The college shall maintain proper accounts of the expenditure out of the Grants, which shall be utilized only on approved items of expenditure and ensure proper labeling of the items purchased. The Utilization Certificate to the effect that the grant has been utilized for the purpose for which it has been sanctioned shall be furnished to the University Grants Commission as early as possible after the close of the financial year. Balance grant will be released only on receipt of audited U.C. and Statement of Expenditure etc.,

Principal

Govt. Gramya Bharati College  
Hardi Bazar, Distt. - Korba (C.G.)



कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा  
ब्लॉक सी. 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल,  
इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

फोन नं. 0771-2263412, फैक्स - 2263412, Email - highereducation.cg@gmail.com

क्र. 290 / 175 / आउशि / बजट / 2020

रायपुर दिनांक 07.02.2020

प्रति,

प्राचार्य,  
समस्त शासकीय महाविद्यालय,  
छत्तीसगढ़

विषय :- शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क स्टेशनरी/पुस्तक कय हेतु आर्पटन जारी करने बाबत वर्ष 2019-20

प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क स्टेशनरी/पुस्तक हेतु संलग्न सूची अनुसार राशि का आर्पटन प्रदाय की जा रही है। उक्त संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 585/आउशि/वयो/07 दिनांक 10.12.07 के द्वारा दिये गये निर्देश यथावत लागू होंगे।

उक्त व्यय मांग संख्या - 41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-2202- सामान्य शिक्षा- (03) वि.वि. और उच्च शिक्षा- 103- सरकारी कालेज एवं संस्थान - 0102- अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोजना (9805) आदिवासी छात्रों को पुस्तक /स्टेशनरी का मुफ्त प्रदाय-11- छात्रवृत्तियां, वृत्तियां एवं अन्य हित लाभ-013- अन्य हित लाभ वर्ष 2019-20 के अंतर्गत विकलनीय होगा। संलग्न सूची में आपके महाविद्यालय के सम्मुख स्टेशनरी हेतु दर्शाये कालम 9 एवं 16 तथा पुस्तकों हेतु दर्शाये कालम 9 एवं 16 में आर्पटित राशि नियमानुसार व्यय कर प्रगति प्रतिवेदन संचालनालय को अनिवार्यरूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


संलग्न - परिशिष्ट (अ)

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

पृ. क्र. 290 / 175 / आउशि / बजट / 20  
प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
2. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन संचालनालय, रायपुर
3. संबंधित कोषालय अधिकारी, छ.ग.।

..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
सहायक संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

D BUDGET SHAKHA/BUDGET 2019-20/LEL/175/000/170




  
Principal  
Government College  
Raipur (C.G.)

सं. 2-019-20

| क्र. | व्यक्तिगत का नाम | समाप्त |      |     | प्रति वार 50 करोड़ रुपये के आवाक के लिए |        |       | प्रति वार 50 करोड़ रुपये के आवाक के लिए |      |     | प्रति वार 50 करोड़ रुपये के आवाक के लिए |       |       | प्रति वार 50 करोड़ रुपये के आवाक के लिए |      |     | प्रति वार 50 करोड़ रुपये के आवाक के लिए |       |     |
|------|------------------|--------|------|-----|-----------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------|------|-----|-----------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------|------|-----|-----------------------------------------|-------|-----|
|      |                  | वारा   |      | योग | वारा                                    |        | योग   | वारा                                    |      | योग | वारा                                    |       | योग   | वारा                                    |      | योग | वारा                                    |       | योग |
|      |                  | वारा   | वारा | योग | वारा                                    | वारा   | योग   | वारा                                    | वारा | योग | वारा                                    | वारा  | योग   | वारा                                    | वारा | योग | वारा                                    | वारा  | योग |
| 1    | 2                | 3      | 4    | 5   | 6                                       | 7      | 8     | 9                                       | 10   | 11  | 12                                      | 13    | 14    | 15                                      | 16   | 17  | 18                                      | 19    |     |
| 183  | व्यक्तिगत नाम    | 30     | 52   | 82  | 4100                                    | 24600  | 4100  | 24600                                   | 0    | 0   | 0                                       | 0     | 0     | 0                                       | 0    | 82  | 28700                                   | 26700 |     |
| 184  | व्यक्तिगत नाम    | 4      | 1    | 5   | 250                                     | 1500   | 250   | 1500                                    | 0    | 0   | 0                                       | 0     | 0     | 0                                       | 0    | 5   | 1750                                    | 1750  |     |
| 185  | व्यक्तिगत नाम    | 248    | 273  | 621 | 28050                                   | 166300 | 28050 | 166300                                  | 76   | 134 | 209                                     | 10450 | 82600 | 10450                                   | 0    | 730 | 278400                                  | 28500 |     |
| 186  | व्यक्तिगत नाम    | 0      | 234  | 234 | 11700                                   | 70200  | 11700 | 70200                                   | 0    | 44  | 44                                      | 2200  | 17600 | 2200                                    | 0    | 278 | 101700                                  | 13600 |     |
| 187  | व्यक्तिगत नाम    | 236    | 382  | 618 | 31350                                   | 188100 | 31350 | 188100                                  | 4    | 10  | 14                                      | 700   | 5900  | 700                                     | 0    | 641 | 225750                                  | 32050 |     |
| 188  | व्यक्तिगत नाम    | 91     | 239  | 330 | 18500                                   | 89000  | 18500 | 89000                                   | 7    | 18  | 25                                      | 1250  | 10000 | 1250                                    | 0    | 365 | 126750                                  | 17150 |     |
| 189  | व्यक्तिगत नाम    | 151    | 231  | 382 | 19100                                   | 114600 | 19100 | 114600                                  | 0    | 0   | 0                                       | 0     | 0     | 0                                       | 0    | 382 | 133700                                  | 19100 |     |
| 190  | व्यक्तिगत नाम    | 34     | 75   | 109 | 5450                                    | 32700  | 5450  | 32700                                   | 0    | 0   | 0                                       | 0     | 0     | 0                                       | 0    | 109 | 38150                                   | 38150 |     |
| 191  | व्यक्तिगत नाम    | 138    | 228  | 365 | 18250                                   | 109500 | 18250 | 109500                                  | 3    | 4   | 7                                       | 250   | 2000  | 250                                     | 0    | 372 | 132600                                  | 19900 |     |
| 192  | व्यक्तिगत नाम    | 65     | 147  | 212 | 10800                                   | 63600  | 10800 | 63600                                   | 0    | 12  | 17                                      | 29    | 1450  | 1450                                    | 0    | 241 | 87250                                   | 12050 |     |
| 193  | व्यक्तिगत नाम    | 165    | 312  | 477 | 23850                                   | 143100 | 23850 | 143100                                  | 0    | 45  | 51                                      | 128   | 6200  | 59400                                   | 0    | 603 | 223650                                  | 30150 |     |
| 194  | व्यक्तिगत नाम    | 12     | 39   | 51  | 2550                                    | 15300  | 2550  | 15300                                   | 0    | 9   | 9                                       | 0     | 0     | 0                                       | 0    | 51  | 17850                                   | 17850 |     |
| 195  | व्यक्तिगत नाम    | 311    | 422  | 733 | 36650                                   | 219900 | 36650 | 219900                                  | 77   | 92  | 169                                     | 8450  | 67600 | 8450                                    | 0    | 357 | 332900                                  | 46150 |     |
| 196  | व्यक्तिगत नाम    | 0      | 214  | 214 | 10700                                   | 64200  | 10700 | 64200                                   | 0    | 46  | 46                                      | 2000  | 16000 | 2000                                    | 0    | 24  | 92900                                   | 12700 |     |
| 197  | व्यक्तिगत नाम    | 118    | 118  | 236 | 9800                                    | 59400  | 9800  | 59400                                   | 0    | 17  | 17                                      | 1400  | 11200 | 1400                                    | 0    | 228 | 81900                                   | 81900 |     |
| 198  | व्यक्तिगत नाम    | 103    | 78   | 181 | 14050                                   | 84300  | 14050 | 84300                                   | 0    | 26  | 26                                      | 4050  | 32400 | 4050                                    | 0    | 52  | 134950                                  | 12700 |     |
| 199  | व्यक्तिगत नाम    | 73     | 157  | 230 | 9100                                    | 54600  | 9100  | 54600                                   | 0    | 14  | 24                                      | 1200  | 9950  | 1200                                    | 0    | 276 | 74500                                   | 12700 |     |
| 200  | व्यक्तिगत नाम    | 111    | 265  | 376 | 14450                                   | 86700  | 14450 | 86700                                   | 0    | 22  | 33                                      | 1850  | 13200 | 1650                                    | 0    | 322 | 119000                                  | 16700 |     |
| 201  | व्यक्तिगत नाम    | 113    | 295  | 408 | 13400                                   | 80400  | 13400 | 80400                                   | 0    | 0   | 0                                       | 0     | 0     | 0                                       | 0    | 295 | 93800                                   | 12700 |     |
| 202  | व्यक्तिगत नाम    | 88     | 166  | 254 | 9200                                    | 55200  | 9200  | 55200                                   | 0    | 0   | 0                                       | 0     | 0     | 0                                       | 0    | 166 | 92100                                   | 95700 |     |
| 203  | व्यक्तिगत नाम    | 65     | 96   | 161 | 8750                                    | 52400  | 8750  | 52400                                   | 0    | 22  | 44                                      | 2200  | 17800 | 2200                                    | 0    | 219 | 81050                                   | 91700 |     |
| 204  | व्यक्तिगत नाम    | 95     | 115  | 210 | 10700                                   | 64200  | 10700 | 64200                                   | 0    | 9   | 9                                       | 0     | 0     | 0                                       | 0    | 214 | 74900                                   | 76700 |     |
| 205  | व्यक्तिगत नाम    | 38     | 61   | 99  | 6000                                    | 36000  | 6000  | 36000                                   | 0    | 0   | 0                                       | 0     | 0     | 0                                       | 0    | 120 | 42000                                   | 42000 |     |
| 206  | व्यक्तिगत नाम    | 18     | 63   | 81  | 4100                                    | 24600  | 4100  | 24600                                   | 3    | 4   | 7                                       | 360   | 2800  | 350                                     | 0    | 59  | 31850                                   | 31850 |     |
| 207  | व्यक्तिगत नाम    | 17     | 37   | 54  | 2700                                    | 16200  | 2700  | 16200                                   | 0    | 0   | 0                                       | 0     | 0     | 0                                       | 0    | 54  | 19600                                   | 19600 |     |
| 208  | व्यक्तिगत नाम    | 407    | 274  | 681 | 34050                                   | 204300 | 34050 | 204300                                  | 53   | 85  | 148                                     | 7400  | 59200 | 7400                                    | 0    | 825 | 304950                                  | 41450 |     |
| 209  | व्यक्तिगत नाम    | 0      | 502  | 502 | 20100                                   | 120600 | 20100 | 120600                                  | 0    | 109 | 109                                     | 5450  | 43600 | 5450                                    | 0    | 711 | 259750                                  | 36550 |     |
| 210  | व्यक्तिगत नाम    | 184    | 267  | 451 | 22050                                   | 136300 | 22050 | 136300                                  | 0    | 2   | 15                                      | 850   | 6800  | 850                                     | 0    | 473 | 166650                                  | 23650 |     |
| 211  | व्यक्तिगत नाम    | 73     | 117  | 190 | 9500                                    | 57000  | 9500  | 57000                                   | 0    | 0   | 0                                       | 0     | 0     | 0                                       | 0    | 190 | 66900                                   | 66900 |     |
| 212  | व्यक्तिगत नाम    | 65     | 114  | 179 | 8950                                    | 53700  | 8950  | 53700                                   | 0    | 0   | 0                                       | 0     | 0     | 0                                       | 0    | 179 | 62650                                   | 62650 |     |
| 213  | व्यक्तिगत नाम    | 51     | 107  | 158 | 7900                                    | 47400  | 7900  | 47400                                   | 0    | 0   | 0                                       | 0     | 0     | 0                                       | 0    | 158 | 55300                                   | 55300 |     |
| 214  | व्यक्तिगत नाम    | 21     | 54   | 75  | 3750                                    | 22500  | 3750  | 22500                                   | 0    | 0   | 0                                       | 0     | 0     | 0                                       | 0    | 75  | 26250                                   | 26250 |     |

Principal  
Govt. Gramya Bharati College  
Hardi Bazar, Distt. Korba (C.G.)



*[Handwritten Signature]*  
Principal

Govt. Gramya Bharati College  
Hardi Bazar, Distt. Korba (C.G.)

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा  
ब्लॉक सी. 30, द्वितीय एच तृतीय मंजिल,  
इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

फोन नं. 0771-2263412, फैक्स - 2263412, Email - highereducation.cg@gmail.com

क०३११/१७५/आउशि/बजट/2020

रायपुर दिनांक ०७.०२.२०२०

प्रति,

प्राचार्य,

समस्त शासकीय महाविद्यालय,

छत्तीसगढ़

विषय :- शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी/पुस्तक कय हेतु आवंटन जारी करने बाबत वर्ष 2019-20

प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी/पुस्तक हेतु संलग्न सूची अनुसार राशि का आवंटन प्रदाय की जा रही है।

उक्त संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 585/आउशि/ब.यो/07 दिनांक 10.12.07 के द्वारा दिये गये निर्देश यथावत लागू होंगे।

उक्त व्यय मांग संख्या - 64- अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना-2202- सामान्य शिक्षा- (03) वि.वि. और उच्च शिक्षा- 103- सरकारी कालेज एवं संस्थान - 0103- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना (4699) छात्रों के लिये पुस्तकें आदि का प्रदाय-11- छात्रवृत्तियां, वृत्तियां एवं अन्य हित लाम-004- निःशुल्क पुस्तकों का व्यय- वर्ष 2019-20 के अंतर्गत विकलनीय होगा। संलग्न सूची में आपके महाविद्यालय के सम्मुख स्टेशनरी हेतु दर्शाये कालम 8 एवं 15 तथा पुस्तकों हेतु दर्शाये कालम 9 एवं 16 में आबंटित राशि निम्नानुसार व्यय कर प्रगति प्रतिवेदन संचालनालय को अनिवार्यरूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्न - परिशिष्ट (ब)

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

*Kidari*

सहायक संचालक (वित्त)

उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

रायपुर दिनांक ०७.०२.२०२०

पृ० क० २५० / १७५ / आउशि / बजट / २०

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
2. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन संचालनालय, रायपुर।
3. संबंधित कोषालय अधिकारी, छ.ग.।

..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

*Kidari*

सहायक संचालक (वित्त)

उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

D:\BUDGET SHAKHA\BUDGET 2019-20\LELLE



*Principal*

Principal

Govt. Gramya Bharati College  
Hara, Bazar, Distt - Korba (C.G.)



कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा  
ब्लॉक सी. 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

फोन नं. 0771-2263412, फैक्स - 2263412, Email - highereducation.cg@gmail.com

क० 344 / 11.9 / आउशि / बजट / 19

रायपुर दिनांक 11.2.19

प्रति,

प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय,

छत्तीसगढ़

विषय :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में बी.पी.एल. बुक बैंक योजना के तहत बजट आबंटन बाबत।

उपरोक्त विषयांतर्गत वर्ष 2018-19 के लिये आपके महाविद्यालय को संलग्न सूची में महाविद्यालय के सम्मुख दर्शाये अनुसार छत्तीसगढ़ भण्डार कय नियम तथा विभाग द्वारा पूर्व में समय-समय पर जारी निर्देशों के अन्तर्गत बजट आबंटन कर बी.पी.एल. बुक बैंक योजनान्तर्गत पुस्तकें कय करने की अनुमति दी जाती है।

सत्र 2018-19 के लिये संशोधित पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुये पुस्तकें कय की जावें। उक्त व्यय मांग संख्या-44-उच्च शिक्षा-2202-सामान्य शिक्षा, (03)-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा-103-सरकारी कॉलेज और संस्थायें - 0101- राज्य आयोजना (सामान्य) - 5671-बी.पी.एल. बुक बैंक योजना - 04- कार्यालय व्यय - 004- पुस्तकें एवं नियतकालीन पत्रिकायें आयोजना मद के अंतर्गत विकलनीय होगा।

कृपया कार्यवाही के पश्चात राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं लाभान्वित छात्रों की जानकारी भी कार्यालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

*M. Shan*

संयुक्त संचालक (व्ही.)

उच्च शिक्षा संचालनालय,

अटल नगर रायपुर

रायपुर दिनांक.....

पृ० क०..... / ..... / आउशि / बजट / 19

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन मंत्रालय अटल नगर रायपुर।
2. महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर।
3. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन संचालनालय, अटल नगर रायपुर।
4. संबंधित कोषालय / उपकोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।  
.....की ओर सूचनार्थ।

20/1-  
संयुक्त संचालक (व्ही.)

उच्च शिक्षा संचालनालय,

अटल नगर रायपुर




Principal

Govt. Gramyan Ghantoli College  
Hardi Buzar, Distt. Raipur (C.G.)



बी.पी.एल. बुक बैंक योजनांतर्गत महाविद्यालयों को बजट आबंटन सत्र 2018-19

| क्र | शासकीय महाविद्यालय का नाम                                           | आबंटित राशि<br>रुपयों में |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | शासकीय गजानन्द अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटापारा            | 25000                     |
| 2   | शासकीय दाऊ कल्याण सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार          | 25000                     |
| 3   | शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुन्द      | 25000                     |
| 4   | शासकीय बाबू छोटलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी                   | 25000                     |
| 5   | शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर पी.जी. कला-विज्ञान महा., दुर्ग         | 25000                     |
| 6   | शासकीय डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर कन्या पी.जी. महाविद्यालय, दुर्ग      | 25000                     |
| 7   | शासकीय जवाहर लाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बंमेतरा             | 25000                     |
| 8   | शासकीय धनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बालाद            | 25000                     |
| 9   | शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव                | 25000                     |
| 10  | शासकीय जे.पी. वर्मा पी.जी. कला/वाणिज्य महाविद्यालय, बिलासपुर        | 25000                     |
| 11  | शासकीय ई. राधवेन्द्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, बिलासपुर  | 25000                     |
| 12  | शासकीय जे. योगानंदम् छत्तीसगढ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर       | 25000                     |
| 13  | शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर            | 25000                     |
| 14  | शासकीय दूधाधारी श्री वैष्णव स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर | 25000                     |
| 15  | शासकीय दूधाधारी बजरंग स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, रायपुर         | 25000                     |
| 16  | शासकीय राजीवगांधी कला/वाणिज्य महाविद्यालय, लोरमी                    | 25000                     |
| 17  | शासकीय डॉ. ज्वाला प्रसाद सिंह महाविद्यालय, मुर्गेली                 | 25000                     |
| 18  | शासकीय लक्ष्मणेश्वर महाविद्यालय, खरौद                               | 25000                     |
| 19  | शासकीय मयूरध्वज महादानी राजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चांपा         | 25000                     |
| 20  | शासकीय इंजीनियर विश्वेसरैया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोरबा          | 25000                     |
| 21  | शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय, हरदीबाजार                         | 25000 ✓                   |
| 22  | शासकीय पालुराम धनानिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायगढ               | 25000                     |
| 23  | शासकीय किशोरी मोहन त्रिपाठी महिला महाविद्यालय, रायगढ                | 25000                     |
| 24  | शासकीय किरोडीमल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायगढ                      | 25000                     |
| 25  | शासकीय एन.ई.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुरनगर                   | 25000                     |
| 26  | शासकीय ठाकुर शोभासिंह महाविद्यालय, पत्थलगांव                        | 25000                     |
| 27  | शासकीय राजीवगांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर               | 25000                     |
| 28  | शासकीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय, सीतापुर                   | 25000                     |
| 29  | शासकीय रेवतीरमण मिश्र महाविद्यालय, सूरजपुर                          | 25000                     |
| 30  | शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर   | 25000                     |
| 31  | शासकीय विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मनेन्द्रगढ                | 25000                     |
| 32  | शासकीय लाहिडी महाविद्यालय, चिरमिरी                                  | 25000                     |

  
Principal

Govt. Gramya Bharati College  
Hard. Bazar, Dist. Korba (C.G.)

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा  
ब्लॉक सी. 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल,  
इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

फोन नं. 0771-2263412, फैक्स: 2263412 Email - highereducation.cg@gmail.com

क० 342/122/आउशि/बजट/19

रायपुर दिनांक ०८.०२.१९

प्रति,

प्राचार्य,

समस्त शासकीय महाविद्यालय,

छत्तीसगढ़

विषय :- शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति छात्र-छात्राओं को  
निःशुल्क स्टेशनरी/पुस्तक कय हेतु आवंटन जारी करने बाबत वर्ष 2018-19


प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति छात्र-छात्राओं को  
निःशुल्क स्टेशनरी/पुस्तक हेतु संलग्न सूची अनुसार राशि का आवंटन प्रदाय की जा रही है।

उक्त संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 585/आउशि/ब.यो./07 दिनांक  
10.12.07 के द्वारा दिखे गये निर्देश यथावत लागू होंगे।

उक्त व्यय मांग संख्या - 64- अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना-2202-  
सामान्य शिक्षा- (03) वि.वि. और उच्च शिक्षा- 103- सरकारी कालेज एवं संस्थायें - 0103- अनुसूचित  
जातियों के लिये विशेष घटक योजना (4699) छात्रों के लिये पुस्तकें आदि का प्रदाय-11- छात्रवृत्तियां,  
वृत्तियां एवं अन्य हित लाभ-004- निःशुल्क पुस्तकों का व्यय- वर्ष 2018-19 के अंतर्गत विकलनीय  
होगा। संलग्न सूची में आपके महाविद्यालय के सम्मुख स्टेशनरी हेतु दर्शाये कॉलम 8 एवं 15 तथा  
पुस्तकों हेतु दर्शाये कॉलम 9 एवं 16 में आबंटित राशि नियमानुसार व्यय कर प्रगति प्रतिवेदन  
संचालनालय को अनिवार्यरूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्न - परिशिष्ट (ब)

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)


  
संयुक्त संचालक (व्ही.)  
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)  
रायपुर दिनांक.....

पृ० क०. / /आउशि/बजट/19


प्रतिलिपि :-


1. महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
2. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन संचालनालय, रायपुर।
3. संबंधित कोषालय अधिकारी, छ.ग.।

..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
संयुक्त संचालक (व्ही.)  
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

D:\BUDGET SHAKTI\BUDGET 2018-19\F111.docx 165



  
Principal  
Govt. Gramya Eharati College  
Hardi Bazar Distt. Korba (C.G.)

2018-19



Principal  
Govt. Gramya Bharati College  
Hardi Bazar, Dist. Korba (C.G.)

| क्र | वर्ग/विभाग का नाम   | समाक |     |     | प्रति वार 50 का रेटिंग | 500 का रेटिंग | प्रति वार 80 का रेटिंग | 800 का रेटिंग | प्रति वार 100 का रेटिंग | 1000 का रेटिंग | प्रति वार 150 का रेटिंग | 1500 का रेटिंग | प्रति वार 200 का रेटिंग | 2000 का रेटिंग | प्रति वार 250 का रेटिंग | 2500 का रेटिंग | प्रति वार 300 का रेटिंग | 3000 का रेटिंग | अंकों  |     |     |
|-----|---------------------|------|-----|-----|------------------------|---------------|------------------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|--------|-----|-----|
|     |                     | वार  | भाग | योग |                        |               |                        |               |                         |                |                         |                |                         |                |                         |                |                         |                | वार    | भाग | योग |
| 1   | 2                   | 3    | 4   | 5   | 6                      | 7             | 8                      | 9             | 10                      | 11             | 12                      | 13             | 14                      | 15             | 16                      | 17             | 18                      | 19             |        |     |     |
| 167 | राजकीय महीन वर्ग    | 34   | 18  | 52  | 2600                   | 15600         | 2600                   | 15600         | 0                       | 0              | 0                       | 10900          | 0                       | 0              | 0                       | 52             | 18200                   | 18200          |        |     |     |
| 168 | राजकीय टाकी वर वर्ग | 301  | 217 | 518 | 25900                  | 155400        | 25900                  | 155400        | 98                      | 120            | 218                     | 10900          | 87200                   | 10900          | 87200                   | 738            | 279400                  | 279400         |        |     |     |
| 169 | राजकीय टाकी वर वर्ग | 0    | 202 | 202 | 10100                  | 60600         | 10100                  | 60600         | 0                       | 0              | 0                       | 0              | 0                       | 0              | 0                       | 202            | 70700                   | 70700          |        |     |     |
| 170 | राजकीय टाकी वर वर्ग | 165  | 200 | 365 | 18250                  | 109500        | 18250                  | 109500        | 67                      | 48             | 115                     | 5750           | 46000                   | 5750           | 46000                   | 480            | 179500                  | 179500         |        |     |     |
| 171 | राजकीय टाकी वर वर्ग | 169  | 174 | 343 | 17150                  | 102900        | 17150                  | 102900        | 29                      | 27             | 56                      | 2800           | 22400                   | 2800           | 22400                   | 399            | 145250                  | 145250         |        |     |     |
| 172 | राजकीय टाकी वर वर्ग | 169  | 163 | 332 | 16600                  | 99600         | 16600                  | 99600         | 44                      | 57             | 101                     | 5050           | 40400                   | 5050           | 40400                   | 433            | 161650                  | 161650         |        |     |     |
| 173 | राजकीय टाकी वर वर्ग | 179  | 174 | 353 | 17650                  | 105900        | 17650                  | 105900        | 13                      | 25             | 38                      | 1900           | 15200                   | 1900           | 15200                   | 391            | 140650                  | 140650         |        |     |     |
| 174 | राजकीय टाकी वर वर्ग | 199  | 212 | 411 | 20550                  | 123300        | 20550                  | 123300        | 29                      | 49             | 78                      | 3900           | 31200                   | 3900           | 31200                   | 489            | 178950                  | 178950         |        |     |     |
| 175 | राजकीय टाकी वर वर्ग | 55   | 54  | 109 | 5450                   | 32700         | 5450                   | 32700         | 0                       | 0              | 0                       | 0              | 0                       | 0              | 0                       | 109            | 38150                   | 38150          |        |     |     |
| 176 | राजकीय टाकी वर वर्ग | 143  | 114 | 257 | 12850                  | 77100         | 12850                  | 77100         | 30                      | 42             | 72                      | 3600           | 28800                   | 3600           | 28800                   | 329            | 122350                  | 122350         |        |     |     |
| 177 | राजकीय टाकी वर वर्ग | 342  | 365 | 707 | 35350                  | 212100        | 35350                  | 212100        | 61                      | 99             | 160                     | 8000           | 64000                   | 8000           | 64000                   | 867            | 319450                  | 319450         |        |     |     |
| 178 | राजकीय टाकी वर वर्ग | 127  | 167 | 314 | 15700                  | 94200         | 15700                  | 94200         | 28                      | 22             | 50                      | 2500           | 20000                   | 2500           | 20000                   | 384            | 132400                  | 132400         |        |     |     |
| 179 | राजकीय टाकी वर वर्ग | 51   | 64  | 115 | 5750                   | 34500         | 5750                   | 34500         | 0                       | 0              | 0                       | 0              | 0                       | 0              | 0                       | 115            | 40250                   | 40250          |        |     |     |
| 180 | राजकीय टाकी वर वर्ग | 22   | 9   | 31  | 1500                   | 9300          | 1500                   | 9300          | 0                       | 0              | 0                       | 0              | 0                       | 0              | 0                       | 31             | 10850                   | 10850          |        |     |     |
| 181 | राजकीय टाकी वर वर्ग | 14   | 16  | 30  | 1500                   | 9000          | 1500                   | 9000          | 0                       | 0              | 0                       | 0              | 0                       | 0              | 0                       | 40             | 14000                   | 14000          |        |     |     |
| 182 | राजकीय टाकी वर वर्ग | 18   | 22  | 40  | 2000                   | 12000         | 2000                   | 12000         | 0                       | 0              | 0                       | 0              | 0                       | 0              | 0                       | 40             | 14000                   | 14000          |        |     |     |
| 183 | राजकीय टाकी वर वर्ग | 180  | 158 | 338 | 16900                  | 101400        | 16900                  | 101400        | 49                      | 67             | 116                     | 5800           | 46400                   | 5800           | 46400                   | 454            | 170500                  | 170500         |        |     |     |
| 184 | राजकीय टाकी वर वर्ग | 0    | 186 | 186 | 9300                   | 55800         | 9300                   | 55800         | 0                       | 46             | 46                      | 2300           | 18400                   | 2300           | 18400                   | 232            | 85900                   | 85900          |        |     |     |
| 185 | राजकीय टाकी वर वर्ग | 71   | 81  | 152 | 7600                   | 45600         | 7600                   | 45600         | 1                       | 2              | 3                       | 950            | 7600                    | 950            | 7600                    | 173            | 62450                   | 62450          |        |     |     |
| 186 | राजकीय टाकी वर वर्ग | 73   | 81  | 154 | 7700                   | 46200         | 7700                   | 46200         | 5                       | 14             | 19                      | 950            | 0                       | 0              | 0                       | 13             | 4550                    | 4550           |        |     |     |
| 187 | राजकीय टाकी वर वर्ग | 11   | 2   | 13  | 650                    | 3900          | 650                    | 3900          | 0                       | 0              | 0                       | 0              | 0                       | 0              | 0                       | 33             | 11550                   | 11550          |        |     |     |
| 188 | राजकीय टाकी वर वर्ग | 17   | 16  | 33  | 1650                   | 9900          | 1650                   | 9900          | 0                       | 0              | 0                       | 0              | 0                       | 0              | 0                       | 118            | 41600                   | 41600          |        |     |     |
| 189 | राजकीय टाकी वर वर्ग | 57   | 58  | 115 | 5750                   | 34500         | 5750                   | 34500         | 0                       | 3              | 3                       | 150            | 1200                    | 150            | 1200                    | 45             | 16250                   | 16250          |        |     |     |
| 190 | राजकीय टाकी वर वर्ग | 13   | 27  | 40  | 2000                   | 12000         | 2000                   | 12000         | 5                       | 0              | 5                       | 250            | 2000                    | 250            | 2000                    | 311            | 118650                  | 118650         |        |     |     |
| 191 | राजकीय टाकी वर वर्ग | 90   | 141 | 231 | 11550                  | 69300         | 11550                  | 69300         | 30                      | 50             | 80                      | 4000           | 0                       | 0              | 0                       | 5              | 1750                    | 182950         | 182950 |     |     |
| 192 | राजकीय टाकी वर वर्ग | 4    | 1   | 5   | 250                    | 1500          | 250                    | 1500          | 0                       | 0              | 0                       | 0              | 0                       | 0              | 0                       | 5              | 1750                    | 182950         |        |     |     |
| 193 | राजकीय टाकी वर वर्ग | 222  | 184 | 406 | 20300                  | 121800        | 20300                  | 121800        | 0                       | 63             | 113                     | 5650           | 45200                   | 5650           | 45200                   | 171            | 61950                   | 61950          |        |     |     |
| 194 | राजकीय टाकी वर वर्ग | 0    | 150 | 150 | 7500                   | 45000         | 7500                   | 45000         | 0                       | 21             | 21                      | 1050           | 8400                    | 1050           | 8400                    | 108            | 80800                   | 80800          |        |     |     |
| 196 | राजकीय टाकी वर वर्ग | 94   | 54  | 148 | 7400                   | 44400         | 7400                   | 44400         | 14                      | 6              | 20                      | 1000           | 8000                    | 1000           | 8000                    | 168            | 60800                   | 60800          |        |     |     |

10/10/19  
10/10/19

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा  
ब्लॉक सी. 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल,  
इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

फोन नं 0771-2263412 फैक्स - 2285412 Email - highereducation.cg@gmail.com

क्र. 340/122/आउशि/बजट/19

रायपुर दिनांक 08.09.19

प्रति,

प्राचार्य,

समस्त शासकीय महाविद्यालय

छत्तीसगढ़

विषय :- शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी/पुस्तक कय हेतु आवंटन जारी करने बाबत वर्ष 2018-19

प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी/पुस्तक हेतु संलग्न सूची अनुसार राशि का आवंटन प्रदाय की जा रही है। उक्त संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 585/आउशि/व.या/07 दिनांक 10.12.07 के द्वारा दिये गये निर्देश यथावत लागू होंगे।

उक्त व्यय मांग संख्या - 41 - आदिवासी क्षेत्र उपस्थापना-2002- सानान्य शिक्षा - (03) वि.दि. और उच्च शिक्षा- 103 - शासकीय महाविद्यालय एवं महाविद्यालय में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोगना (9805) आदिवासी छात्रों को पुस्तक, स्टेशनरी का मुफ्त प्रदाय हेतु आकृष्टिक, वृत्तिक एवं अन्य हित लाभ-013- अन्य हित लाभ वर्ष 2018-19 के अंतर्गत विकसलमंथ होगा। संलग्न सूची में आपके महाविद्यालय के सम्मुख स्टेशनरी हेतु दर्शाये कॉलम 8 एवं 15 तथा पुस्तकों हेतु दर्शाये कॉलम 9 एवं 16 में आबंटित राशि नियमानुसार ध्यय कर प्रगति प्रतिवेदन संचालनालय को अनिवार्यरूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्न - परिशिष्ट (अ)

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

पृ० क्र. / /आउशि/बजट/19

प्रतिलिपि :-

- 1 महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
- 2 आयुक्त, कां.प. लेखा एवं पंशन संचालनालय, रायपुर।
- 3 संबंधित कां.पालय अधिकारी, छ.ग.।

की आर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संयुक्त संचालक (व्ही.)

उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)




*[Signature]*

Principal

Govt. Gramya Bharati College  
Hindi Bazar, Dist. - Korba (C.G.)

2018-19



Principal  
Govt. Gramya Bharati College  
Haroti Bazar, Dist. Korba (C.G.)

| क्र.सं. | परिचयिका का नाम | कक्षास   |      |         | मार्च 31 तक का कुल अनुमानित खर्च | मार्च 31 तक का कुल प्राप्त | अनुमानित बकाया | अनुमानित बकाया का प्रतिशत | मार्च 31 तक का कुल अनुमानित खर्च | मार्च 31 तक का कुल प्राप्त | अनुमानित बकाया | अनुमानित बकाया का प्रतिशत | मार्च 31 तक का कुल अनुमानित खर्च | मार्च 31 तक का कुल प्राप्त | अनुमानित बकाया | अनुमानित बकाया का प्रतिशत |
|---------|-----------------|----------|------|---------|----------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
|         |                 | प्राथमिक | उच्च | द्वितीय |                                  |                            |                |                           |                                  |                            |                |                           |                                  |                            |                |                           |
| 1       | 2               |          |      |         |                                  |                            |                |                           |                                  |                            |                |                           |                                  |                            |                |                           |
| 168     | ...             | 3        | 4    | 5       | 6                                | 7                          | 8              | 9                         | 10                               | 11                         | 12             | 13                        | 14                               | 15                         | 16             | 17                        |
| 170     | ...             | 30       | 25   | 55      | 2750                             | 16500                      | 2700           | 16500                     | 0                                | 0                          | 0              | 0                         | 0                                | 0                          | 0              | 0                         |
| 171     | ...             | 42       | 83   | 125     | 2700                             | 16200                      | 2700           | 16200                     | 0                                | 0                          | 0              | 0                         | 0                                | 0                          | 0              | 0                         |
| 172     | ...             | 14       | 17   | 31      | 6250                             | 37500                      | 6250           | 37500                     | 0                                | 0                          | 0              | 0                         | 0                                | 0                          | 0              | 0                         |
| 173     | ...             | 115      | 128  | 243     | 12150                            | 72900                      | 12150          | 72900                     | 0                                | 0                          | 0              | 0                         | 0                                | 0                          | 0              | 0                         |
| 174     | ...             | 49       | 58   | 107     | 5350                             | 32100                      | 5350           | 32100                     | 0                                | 0                          | 0              | 0                         | 0                                | 0                          | 0              | 0                         |
| 175     | ...             | 31       | 74   | 105     | 5250                             | 31500                      | 5250           | 31500                     | 0                                | 0                          | 0              | 0                         | 0                                | 0                          | 0              | 0                         |
| 176     | ...             | 45       | 79   | 124     | 6200                             | 37200                      | 6200           | 37200                     | 0                                | 0                          | 0              | 0                         | 0                                | 0                          | 0              | 0                         |
| 177     | ...             | 30       | 37   | 67      | 3350                             | 20100                      | 3350           | 20100                     | 0                                | 0                          | 0              | 0                         | 0                                | 0                          | 0              | 0                         |
| 178     | ...             | 31       | 20   | 51      | 2550                             | 15300                      | 2550           | 15300                     | 0                                | 0                          | 0              | 0                         | 0                                | 0                          | 0              | 0                         |
| 179     | ...             | 33       | 30   | 63      | 3150                             | 18900                      | 3150           | 18900                     | 0                                | 0                          | 0              | 0                         | 0                                | 0                          | 0              | 0                         |
| 180     | ...             | 10       | 18   | 28      | 1400                             | 8400                       | 1400           | 8400                      | 0                                | 0                          | 0              | 0                         | 0                                | 0                          | 0              | 0                         |
| 181     | ...             | 7        | 3    | 10      | 500                              | 3000                       | 500            | 3000                      | 0                                | 0                          | 0              | 0                         | 0                                | 0                          | 0              | 0                         |
| 182     | ...             | 16       | 22   | 38      | 1900                             | 11400                      | 1900           | 11400                     | 0                                | 0                          | 0              | 0                         | 0                                | 0                          | 0              | 0                         |
| 183     | ...             | 31       | 20   | 51      | 2550                             | 15300                      | 2550           | 15300                     | 0                                | 0                          | 0              | 0                         | 0                                | 0                          | 0              | 0                         |
| 184     | ...             | 0        | 1    | 1       | 50                               | 300                        | 50             | 300                       | 0                                | 0                          | 0              | 0                         | 0                                | 0                          | 0              | 0                         |
| 185     | ...             | 216      | 239  | 455     | 22750                            | 136500                     | 22750          | 136500                    | 0                                | 0                          | 0              | 0                         | 0                                | 0                          | 0              | 0                         |
| 186     | ...             | 0        | 195  | 195     | 9750                             | 58500                      | 9750           | 58500                     | 0                                | 0                          | 0              | 0                         | 0                                | 0                          | 0              | 0                         |
| 187     | ...             | 256      | 355  | 611     | 30550                            | 183300                     | 30550          | 183300                    | 0                                | 0                          | 0              | 0                         | 0                                | 0                          | 0              | 0                         |
| 188     | ...             | 100      | 185  | 285     | 14250                            | 85500                      | 14250          | 85500                     | 0                                | 0                          | 0              | 0                         | 0                                | 0                          | 0              | 0                         |
| 189     | ...             | 142      | 176  | 318     | 15900                            | 95400                      | 15900          | 95400                     | 0                                | 0                          | 0              | 0                         | 0                                | 0                          | 0              | 0                         |
| 190     | ...             | 55       | 99   | 154     | 7700                             | 46200                      | 7700           | 46200                     | 0                                | 0                          | 0              | 0                         | 0                                | 0                          | 0              | 0                         |
| 191     | ...             | 107      | 187  | 294     | 14700                            | 88200                      | 14700          | 88200                     | 0                                | 0                          | 0              | 0                         | 0                                | 0                          | 0              | 0                         |
| 192     | ...             | 74       | 135  | 209     | 10450                            | 62700                      | 10450          | 62700                     | 0                                | 0                          | 0              | 0                         | 0                                | 0                          | 0              | 0                         |
| 193     | ...             | 152      | 335  | 487     | 24350                            | 146100                     | 24350          | 146100                    | 0                                | 0                          | 0              | 0                         | 0                                | 0                          | 0              | 0                         |
| 194     | ...             | 24       | 42   | 66      | 3300                             | 19800                      | 3300           | 19800                     | 0                                | 0                          | 0              | 0                         | 0                                | 0                          | 0              | 0                         |
| 195     | ...             | 306      | 346  | 652     | 32600                            | 195600                     | 32600          | 195600                    | 0                                | 0                          | 0              | 0                         | 0                                | 0                          | 0              | 0                         |
| 196     | ...             | 0        | 183  | 193     | 9650                             | 57900                      | 9650           | 57900                     | 0                                | 0                          | 0              | 0                         | 0                                | 0                          | 0              | 0                         |
| 197     | ...             | 124      | 79   | 203     | 10150                            | 60900                      | 10150          | 60900                     | 0                                | 0                          | 0              | 0                         | 0                                | 0                          | 0              | 0                         |

Official stamp (if any)  
Date from submission date

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा  
ब्लॉक सी. 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल,  
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

फोन नं. 0771-2263412, फैक्स - 2263412, Email - che-highcred.ug@gov.in

क0. 324 / 165 / आउशि / बजट / 17

रायपुर दिनांक. 14.12.2017

प्रति,

प्राचार्य,

समस्त शासकीय महाविद्यालय

छत्तीसगढ़

विषय :- शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी/पुस्तक कय हेतु आवंटन जारी करने बाबत वर्ष 2017-18

प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी/पुस्तक हेतु संलग्न सूची अनुसार राशि का आवंटन प्रदाय की जा रही है।

उक्त संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 585/आउशि/ब.यो/07 दिनांक 10.12.07 के द्वारा दिये गये निर्देश यथावत लागू होंगे।

उक्त व्यय मांग संख्या - 41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-2202- सामान्य शिक्षा- (03) दि.वि और उच्च शिक्षा- 103- सरकारी कालेज एवं संस्थान - 0102- अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोजना (9805) आदिवासी छात्रों को पुस्तक / स्टेशनरी का मुफ्त प्रदाय-11- छात्रवृत्तियां, वृत्तियां एवं अन्य हित लाभ-013- अन्य हित लाभ वर्ष 2017-18 के अंतर्गत विकलनीय होगा। संलग्न सूची में आपके महाविद्यालय के सम्मुख स्टेशनरी हेतु दर्शाये कॉलम 8 एवं 15 तथा पुस्तकों हेतु दर्शाये कालम 9 एवं 16 में आवंटित राशि नियमानुसार व्यय कर प्रगति प्रतिवेदन संचालनालय को अनिवार्यरूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्न - परिशिष्ट (अ)

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

पृ0 क0. 325 / 165 / आउशि / बजट / 17

रायपुर दिनांक.14.12.2017

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
2. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन संचालनालय, रायपुर।
3. संबंधित कोषालय अधिकारी, छ.ग.।

..... की ओर सूचनाथे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।




संयुक्त संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

*D. S. K. S.*  
Principal

Govt. Gramya Bharati College  
Hard Jazari, Dist - Korba (C.G.)

2017-18



*[Signature]*

Principal

Govt. Gramya Bharati College  
Harda, Dist. Dist. Korba (C.G.)

| क्र | विवरण | राज्य |       |       | राज्य में कुल | राज्य में प्रति | राज्य |        |       | राज्य में प्रति | राज्य में प्रति | राज्य में प्रति | राज्य में प्रति | राज्य में प्रति | राज्य में प्रति | राज्य में प्रति | राज्य में प्रति | राज्य में प्रति | राज्य में प्रति |        |
|-----|-------|-------|-------|-------|---------------|-----------------|-------|--------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
|     |       | राज्य | राज्य | राज्य |               |                 | राज्य | राज्य  | राज्य |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | राज्य  |
| 1   | राज्य | 3     | 4     | 5     | 6             | 7               | 8     | 9      | 10    | 11              | 12              | 13              | 14              | 15              | 16              | 17              | 18              | 19              | 20              |        |
| 151 | राज्य | 88    | 101   | 189   | 9450          | 56700           | 9450  | 0      | 1     | 11              | 12              | 600             | 4800            | 600             | 4800            | 201             | 71500           | 14850           | 14850           |        |
| 152 | राज्य | 44    | 51    | 95    | 4750          | 28500           | 4750  | 28500  | 4     | 8               | 12              | 800             | 4800            | 600             | 4800            | 107             | 36850           | 36850           | 36850           |        |
| 153 | राज्य | 52    | 92    | 144   | 7200          | 43200           | 7200  | 43200  | 0     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 144             | 50400           | 50400           | 50400           | 50400           |        |
| 154 | राज्य | 18    | 21    | 39    | 1950          | 11700           | 1950  | 11700  | 2     | 3               | 5               | 250             | 2000            | 250             | 2000            | 44              | 15900           | 15900           | 15900           |        |
| 155 | राज्य | 40    | 31    | 71    | 3550          | 21300           | 3550  | 21300  | 3     | 3               | 6               | 300             | 2400            | 300             | 2400            | 77              | 27550           | 27550           | 27550           |        |
| 156 | राज्य | 36    | 27    | 63    | 3150          | 18900           | 3150  | 18900  | 8     | 2               | 10              | 500             | 4000            | 500             | 4000            | 73              | 26550           | 26550           | 26550           |        |
| 157 | राज्य | 19    | 13    | 32    | 1600          | 9600            | 1600  | 9600   | 0     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 32              | 11200           | 11200           | 11200  |
| 158 | राज्य | 3     | 3     | 6     | 300           | 1800            | 300   | 1800   | 0     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 8               | 2100            | 2100            | 2100   |
| 159 | राज्य | 8     | 13    | 21    | 1050          | 6300            | 1050  | 6300   | 0     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 21              | 7350            | 7350            | 7350   |
| 160 | राज्य | 215   | 258   | 471   | 23550         | 141300          | 23550 | 141300 | 67    | 123             | 190             | 8500            | 76000           | 9500            | 76000           | 661             | 250350          | 1090050         | 1090050         |        |
| 161 | राज्य | 0     | 178   | 178   | 8900          | 53400           | 8900  | 53400  | 0     | 32              | 32              | 1600            | 12800           | 1600            | 12800           | 210             | 76700           | 76700           | 76700           |        |
| 162 | राज्य | 281   | 324   | 605   | 30250         | 181500          | 30250 | 181500 | 13    | 36              | 49              | 2450            | 19600           | 2450            | 19600           | 854             | 233800          | 523000          | 523000          |        |
| 163 | राज्य | 127   | 171   | 298   | 14900         | 89400           | 14900 | 89400  | 16    | 15              | 31              | 1550            | 12400           | 1550            | 12400           | 329             | 118250          | 286500          | 286500          |        |
| 164 | राज्य | 137   | 164   | 301   | 15050         | 90300           | 15050 | 90300  | 0     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 301             | 105300          | 581000          | 581000 |
| 165 | राज्य | 86    | 80    | 166   | 8300          | 49800           | 8300  | 49800  | 0     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 166             | 58100           | 58100           | 58100  |
| 166 | राज्य | 55    | 109   | 164   | 8200          | 49200           | 8200  | 49200  | 1     | 1               | 2               | 100             | 800             | 100             | 800             | 168             | 58300           | 58300           | 58300           |        |
| 167 | राज्य | 61    | 120   | 181   | 9050          | 54300           | 9050  | 54300  | 0     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 181             | 63350           | 90500           | 90500  |
| 168 | राज्य | 175   | 323   | 498   | 24900         | 149400          | 24900 | 149400 | 31    | 93              | 124             | 6200            | 49600           | 6200            | 49600           | 622             | 230100          | 807000          | 807000          |        |
| 169 | राज्य | 248   | 275   | 523   | 26150         | 156900          | 26150 | 156900 | 45    | 61              | 106             | 5300            | 42400           | 5300            | 42400           | 629             | 230750          | 736500          | 736500          |        |
| 170 | राज्य | 0     | 201   | 201   | 10050         | 60300           | 10050 | 60300  | 0     | 30              | 30              | 1500            | 12000           | 1500            | 12000           | 231             | 83950           | 83950           | 83950           |        |
| 171 | राज्य | 104   | 57    | 161   | 8050          | 48300           | 8050  | 48300  | 19    | 8               | 27              | 1350            | 10800           | 1350            | 10800           | 188             | 68500           | 68500           | 68500           |        |
| 172 | राज्य | 135   | 175   | 310   | 15500         | 93000           | 15500 | 93000  | 33    | 40              | 73              | 3650            | 29200           | 3650            | 29200           | 383             | 141300          | 463500          | 463500          |        |
| 173 | राज्य | 76    | 66    | 142   | 7100          | 42600           | 7100  | 42600  | 6     | 11              | 17              | 850             | 6800            | 850             | 6800            | 159             | 57350           | 57350           | 57350           |        |
| 174 | राज्य | 78    | 136   | 214   | 10700         | 64200           | 10700 | 64200  | 0     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 214             | 74500           | 107000          | 107000          |        |
| 175 | राज्य | 98    | 136   | 234   | 11700         | 70200           | 11700 | 70200  | 0     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 234             | 81900           | 117000          | 117000          |        |
| 176 | राज्य | 23    | 27    | 50    | 2500          | 15000           | 2500  | 15000  | 0     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 50              | 17500           | 17500           | 17500           |        |
| 177 | राज्य | 69    | 60    | 129   | 8450          | 38700           | 8450  | 38700  | 17    | 18              | 35              | 1750            | 14000           | 1750            | 14000           | 164             | 60900           | 60900           | 60900           |        |
| 178 | राज्य | 49    | 110   | 159   | 7950          | 47700           | 7950  | 47700  | 0     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 159             | 55650           | 55650           | 55650           |        |
| 179 | राज्य | 17    | 45    | 62    | 3100          | 18600           | 3100  | 18600  | 0     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 62              | 21700           | 21700           | 21700           |        |
| 180 | राज्य | 26    | 33    | 59    | 2950          | 17700           | 2950  | 17700  | 0     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 59              | 20850           | 20850           | 20850           |        |
| 181 | राज्य | 4     | 6     | 10    | 500           | 3000            | 500   | 3000   | 0     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 10              | 3500            | 3500            | 3500            |        |
| 182 | राज्य | 347   | 216   | 563   | 28150         | 168800          | 28150 | 168800 | 0     | 57              | 122             | 8950            | 71600           | 8950            | 71600           | 742             | 277600          | 1087000         | 1087000         |        |

राज्य में प्रति

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा  
ब्लॉक सी. 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल,  
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

फोन नं. 0771-2263412, फैक्स - 2263412, Email - che-higheredu.cg@gov.in

क0. 326 / 165 / आउशि / बजट / 17

रायपुर दिनांक. 14.12.2017

प्रति,

प्राचार्य,  
समस्त शासकीय महाविद्यालय,  
छत्तीसगढ़

विषय :- शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी/पुस्तक कय हेतु आवंटन जारी करने बाबत वर्ष 2017-18

प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी/पुस्तक हेतु संलग्न सूची अनुसार राशि का आवंटन प्रदाय की जा रही है।

उक्त संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 585/आउशि/ब.यो/07 दिनांक 10.12.07 के द्वारा दिये गये निर्देश यथावत लागू होंगे।

उक्त व्यय मांग संख्या - 64- अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना-2202- सामान्य शिक्षा- (03) वि.वि. और उच्च शिक्षा- 103- सरकारी कालेज एवं संस्थान - 0103- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना (4699) छात्रों के लिये पुस्तकें आदि का प्रदाय-11- छात्रवृत्तियां, वृत्तियां एवं अन्य हित लाभ-004- निःशुल्क पुस्तकों का व्यय- वर्ष 2017-18 के अंतर्गत विकलनीय होगा। संलग्न सूची में आपके महाविद्यालय के सम्मुख स्टेशनरी हेतु दर्शाये कॉलम 8 एवं 15 तथा पुस्तकों हेतु दर्शाये कॉलम 9 एवं 16 में आबंटित राशि नियमानुसार व्यय कर प्रगति प्रतिवेदन संचालनालय को अनिवार्यरूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्न - परिशिष्ट (ब)

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

पृ0 क0. 327 / 165 / आउशि / बजट / 17

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
2. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन संचालनालय, रायपुर।
3. संबंधित कोषालय अधिकारी, छ.ग.।

..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संयुक्त संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)



*[Signature]*  
Principal

Govt. Gramya Bharati College  
Hardwar, Dist. Nainital (U.P.)



2017-18

| क्र. | विवरण का नाम           | एकित |      |      | एन 50 का कुल अनुमानित व्यय | एन 50 का कुल अनुमानित आय | एन 50 का कुल अनुमानित व्यय | एन 50 का कुल अनुमानित आय | एकित |      |      | एन 50 का कुल अनुमानित व्यय | एन 50 का कुल अनुमानित आय | एन 50 का कुल अनुमानित व्यय | एन 50 का कुल अनुमानित आय | एन 50 का कुल अनुमानित व्यय | एन 50 का कुल अनुमानित आय | एन 50 का कुल अनुमानित व्यय | एन 50 का कुल अनुमानित आय |
|------|------------------------|------|------|------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------|------|------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
|      |                        | वर्ग | वर्ग | वर्ग |                            |                          |                            |                          | वर्ग | वर्ग | वर्ग |                            |                          |                            |                          |                            |                          |                            |                          |
| 1    | 2                      | 3    | 4    | 5    | 6                          | 7                        | 8                          | 9                        | 10   | 11   | 12   | 13                         | 14                       | 15                         | 16                       | 17                         | 18                       | 19                         | 20                       |
| 151  | सामाजिक न्याय विभाग का | 145  | 136  | 281  | 14050                      | 84300                    | 14050                      | 84300                    | 10   | 25   | 35   | 1750                       | 14000                    | 1750                       | 14000                    | 316                        | 114400                   | 141400                     |                          |
| 152  | सामाजिक न्याय विभाग का | 219  | 189  | 408  | 20400                      | 122400                   | 20400                      | 122400                   | 27   | 34   | 61   | 3050                       | 24400                    | 3050                       | 24400                    | 469                        | 170250                   | 170250                     |                          |
| 153  | सामाजिक न्याय विभाग का | 38   | 54   | 92   | 4600                       | 27600                    | 4600                       | 27600                    | 0    | 0    | 0    | 0                          | 0                        | 0                          | 0                        | 92                         | 32200                    | 32200                      |                          |
| 154  | सामाजिक न्याय विभाग का | 151  | 115  | 266  | 13300                      | 79800                    | 13300                      | 79800                    | 29   | 23   | 52   | 2650                       | 20800                    | 2650                       | 20800                    | 318                        | 116500                   | 116500                     |                          |
| 155  | सामाजिक न्याय विभाग का | 127  | 128  | 255  | 12750                      | 76500                    | 12750                      | 76500                    | 30   | 28   | 58   | 2900                       | 23200                    | 2900                       | 23200                    | 313                        | 115350                   | 115350                     |                          |
| 156  | सामाजिक न्याय विभाग का | 485  | 458  | 944  | 47200                      | 283200                   | 47200                      | 283200                   | 61   | 75   | 136  | 6800                       | 54400                    | 6800                       | 54400                    | 1080                       | 391600                   | 391600                     |                          |
| 157  | सामाजिक न्याय विभाग का | 117  | 152  | 269  | 13450                      | 80700                    | 13450                      | 80700                    | 12   | 6    | 18   | 900                        | 7200                     | 900                        | 7200                     | 287                        | 102250                   | 102250                     |                          |
| 158  | सामाजिक न्याय विभाग का | 57   | 60   | 117  | 5850                       | 35100                    | 5850                       | 35100                    | 0    | 0    | 0    | 0                          | 0                        | 0                          | 0                        | 117                        | 40950                    | 40950                      |                          |
| 159  | सामाजिक न्याय विभाग का | 16   | 7    | 23   | 1150                       | 6900                     | 1150                       | 6900                     | 0    | 0    | 0    | 0                          | 0                        | 0                          | 0                        | 23                         | 8050                     | 8050                       |                          |
| 160  | सामाजिक न्याय विभाग का | 171  | 172  | 343  | 17150                      | 102900                   | 17150                      | 102900                   | 48   | 57   | 105  | 5250                       | 42000                    | 5250                       | 42000                    | 448                        | 167300                   | 167300                     |                          |
| 161  | सामाजिक न्याय विभाग का | 0    | 171  | 171  | 8550                       | 51300                    | 8550                       | 51300                    | 0    | 46   | 46   | 2300                       | 18400                    | 2300                       | 18400                    | 217                        | 80550                    | 80550                      |                          |
| 162  | सामाजिक न्याय विभाग का | 72   | 72   | 144  | 7200                       | 43200                    | 7200                       | 43200                    | 6    | 4    | 10   | 500                        | 4000                     | 500                        | 4000                     | 154                        | 54900                    | 54900                      |                          |
| 163  | सामाजिक न्याय विभाग का | 84   | 64   | 148  | 7400                       | 44400                    | 7400                       | 44400                    | 9    | 5    | 14   | 700                        | 5600                     | 700                        | 5600                     | 162                        | 58100                    | 58100                      |                          |
| 164  | सामाजिक न्याय विभाग का | 10   | 3    | 13   | 650                        | 3900                     | 650                        | 3900                     | 0    | 0    | 0    | 0                          | 0                        | 0                          | 0                        | 13                         | 4550                     | 4550                       |                          |
| 165  | सामाजिक न्याय विभाग का | 12   | 18   | 30   | 1500                       | 9000                     | 1500                       | 9000                     | 0    | 0    | 0    | 0                          | 0                        | 0                          | 0                        | 30                         | 10500                    | 10500                      |                          |
| 166  | सामाजिक न्याय विभाग का | 75   | 138  | 213  | 10650                      | 63900                    | 10650                      | 63900                    | 0    | 1    | 1    | 50                         | 400                      | 400                        | 50                       | 214                        | 75000                    | 75000                      |                          |
| 167  | सामाजिक न्याय विभाग का | 11   | 15   | 26   | 1300                       | 7800                     | 1300                       | 7800                     | 0    | 0    | 0    | 0                          | 0                        | 0                          | 0                        | 26                         | 9100                     | 9100                       |                          |
| 168  | सामाजिक न्याय विभाग का | 108  | 139  | 247  | 12350                      | 74100                    | 12350                      | 74100                    | 31   | 52   | 83   | 4150                       | 33200                    | 4150                       | 33200                    | 330                        | 123800                   | 123800                     |                          |
| 169  | सामाजिक न्याय विभाग का | 197  | 158  | 355  | 13250                      | 109500                   | 13250                      | 109500                   | 30   | 61   | 91   | 4550                       | 36400                    | 4550                       | 36400                    | 456                        | 168700                   | 168700                     |                          |
| 170  | सामाजिक न्याय विभाग का | 0    | 157  | 157  | 7850                       | 47100                    | 7850                       | 47100                    | 0    | 32   | 32   | 1600                       | 12800                    | 1600                       | 12800                    | 189                        | 69350                    | 69350                      |                          |
| 171  | सामाजिक न्याय विभाग का | 103  | 40   | 143  | 7150                       | 42900                    | 7150                       | 42900                    | 15   | 5    | 20   | 1000                       | 8000                     | 1000                       | 8000                     | 163                        | 59050                    | 59050                      |                          |
| 172  | सामाजिक न्याय विभाग का | 45   | 134  | 279  | 13950                      | 83700                    | 13950                      | 83700                    | 45   | 41   | 86   | 4300                       | 34400                    | 4300                       | 34400                    | 395                        | 136350                   | 136350                     |                          |
| 173  | सामाजिक न्याय विभाग का | 370  | 265  | 535  | 28750                      | 160500                   | 28750                      | 160500                   | 35   | 55   | 90   | 4500                       | 36000                    | 4500                       | 36000                    | 625                        | 227750                   | 227750                     |                          |
| 174  | सामाजिक न्याय विभाग का | 17   | 18   | 35   | 1750                       | 10500                    | 1750                       | 10500                    | 0    | 0    | 0    | 0                          | 0                        | 0                          | 0                        | 35                         | 12250                    | 12250                      |                          |
| 175  | सामाजिक न्याय विभाग का | 11   | 12   | 23   | 1150                       | 6900                     | 1150                       | 6900                     | 0    | 0    | 0    | 0                          | 0                        | 0                          | 0                        | 23                         | 8050                     | 8050                       |                          |
| 176  | सामाजिक न्याय विभाग का | 78   | 95   | 173  | 8650                       | 51900                    | 8650                       | 51900                    | 0    | 0    | 0    | 0                          | 0                        | 0                          | 0                        | 173                        | 60550                    | 60550                      |                          |
| 177  | सामाजिक न्याय विभाग का | 11   | 9    | 20   | 1000                       | 6000                     | 1000                       | 6000                     | 9    | 6    | 15   | 750                        | 6000                     | 750                        | 6000                     | 22                         | 7700                     | 7700                       |                          |
| 178  | सामाजिक न्याय विभाग का | 12   | 10   | 22   | 1100                       | 6600                     | 1100                       | 6600                     | 0    | 0    | 0    | 0                          | 0                        | 0                          | 0                        | 46                         | 16100                    | 16100                      |                          |
| 179  | सामाजिक न्याय विभाग का | 12   | 34   | 46   | 2300                       | 13800                    | 2300                       | 13800                    | 0    | 0    | 0    | 0                          | 0                        | 0                          | 0                        | 61                         | 21350                    | 21350                      |                          |
| 180  | सामाजिक न्याय विभाग का | 30   | 31   | 61   | 3050                       | 18300                    | 3050                       | 18300                    | 0    | 0    | 0    | 0                          | 0                        | 0                          | 0                        | 10                         | 3500                     | 3500                       |                          |
| 181  | सामाजिक न्याय विभाग का | 2    | 8    | 10   | 500                        | 3000                     | 500                        | 3000                     | 0    | 0    | 0    | 0                          | 0                        | 0                          | 0                        | 47                         | 17750                    | 17750                      |                          |
| 182  | सामाजिक न्याय विभाग का | 10   | 10   | 34   | 1700                       | 10200                    | 1700                       | 10200                    | 10   | 3    | 13   | 650                        | 5200                     | 650                        | 5200                     | 47                         | 17750                    | 17750                      |                          |

Principal  
Govt. Gramya Bharati College  
Hardi Bazar, Distt. Korba (C.G.)

सामाजिक न्याय विभाग का

कार्यालय आधुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. शासन  
 अशासकीय वैश्विक संस्थाओं से संबंधित शाखा  
 ई-2/94, महावीर नगर, भोपाल  
 =====

**प्रतिपत्र**

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26(1) के अन्तर्गत

प्राचार्य ग्राम्य भारती विद्यापीठ हरदीबाजार, बिलासपुर

द्वारा पत्र क्रमांक दिनांक 7.8.95 द्वारा इस विभाग को विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(1)(iv) के अन्तर्गत महावि. में सत्र 96-97 से नया अशासकीय महाविद्यालय में निम्नलिखित अतिरिक्त विषयों को कक्षाएं प्रारंभ किये जाने के लिए आवेदन-पत्र प्रेषित किया।

विषय:- एम.एस-सी. (पूर्वा.) सत्र:- 96-97

वनस्पति शा. एवं प्राणि शास्त्र

उक्त आवेदन-पत्र निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन दिनांक 20.11.95 पर विचार करने के उपरान्त यह विभाग संतुष्ट है कि विश्वविद्यालय को विश्व परिसर के प्रावधान 26(1)(iv) विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अन्तर्गत तथा कार्य परिषद् को विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 24(xii) के अन्तर्गत अनुमति दी जाये कि यह संस्था के आवेदन पर विचार करें।

ग्राम्य भारती विद्यापीठ

अतः यह विभाग यह प्रमाणपत्र प्राचार्य/अध्यक्ष, शासी निकाय हरदी बाजार, बिलासपुर महाविद्यालय/समिति को प्रदान करता है जिससे कि यह विश्वविद्यालय अधिनियम को धारा 26(1)(iv) के प्रावधानों के अनुसार इस प्रमाणपत्र के साथ आवेदन करें।

आवश्यक शर्तें निम्नानुसार हैं :-

- 1। महाविद्यालय शासन से अनुदान की मांग नहीं करेगा।
- 2। महाविद्यालय नो प्रॉफिट नो लाभ के आधार पर चलाया जायेगा।
- 3। प्रवेश फेरिट के आधार पर दिया जायेगा।
- 4। गुणानुक्रम में आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाना चाहिये चाहे उनका भार उन पर डाला जाये जिनको आर्थिक रूप से भुगतान करने की क्षमता अधिक है।
- 5। शासन के निर्देशों एवं समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पूर्णतः पालन करना होगा।
6. प्रत्येक विषय में बार-बार शिक्षकों की नियुक्तियाँ की जाये।

sdl-

अतिरिक्त संचालक  
 वास्ते आधुक्त उच्च शिक्षा म.प्र.  
 भोपाल म.प्र.।


भोपाल, दिनांक 23/12/95

प. क्रमांक/ 7062

प्रतिलिपि:-

✓ प्राचार्य/अध्यक्ष ग्राम्य भारती विद्यापीठ हरदीबाजार जिला बिलासपुर

- 1। को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
  - 2। कुलसचिव गुरु धासीदास वि. वि. बिलासपुर को सूचना एवं धारा 24(xii) के अन्तर्गत शा. प्र. प्रतिवेदन भेजने हेतु।
  - 3। सचिव, म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग को और उनके संदर्भ क्र. के अनुसार आवश्यक कार्यवाही एवं सूचना हेतु।
- टिप्पणी:- यह प्राणि-पत्र किसी संस्था को नया विषय प्रारंभ करने/नया कक्षाएं करने के लिए अतिरिक्त नहीं करता, बसंत कि. वि. वि. अधिनियम 1973 की धारा 24(xii) के अन्तर्गत अनुमति प्रदान नहीं करता।



अतिरिक्त संचालक  
 22/12/95

कार्यालय आपुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. शासन  
 अत्यासक्तोप वैश्विक संस्थाओं से संबंधित कार्य।  
 ई-2/94, महाबोर नगर, भोपाल  
 =====

**शुद्धि-पत्र**

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26(1) के अन्तर्गत  
 प्राचार्य ग्राम्य भारती विद्यापीठ हरदीबाजार, बिलासपुर  
 द्वारा पत्र क्रमांक दिनांक 7.8.95 द्वारा इस विभाग को विश्वविद्यालय अधिनियम  
 1973 की धारा 26(1)(v) के अन्तर्गत महावि. में सत्र 96-97 से नया  
 अत्यासक्तोप महाविद्यालय में निम्नलिखित अतिरिक्त विषयों को कक्षाएं प्रारंभ किये जाने के  
 लिए आवेदन-पत्र प्रेषित किया।

विषय:- एम. एम. सी. [पूर्वा.] सत्र:- 96-97

वनस्पति शा. एवं प्राणि शास्त्र

उक्त आवेदन-पत्र निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन दिनांक 20.11.95 पर विचार करने  
 के उपरान्त यह विभाग संतुष्ट है कि विश्वविद्यालय को विद्या परिषद् के प्रावधान  
 26(1)(v) विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अन्तर्गत तथा कार्य परिषद् को विश्ववि-  
 द्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 24(1)(1) के अन्तर्गत अनुमति दी जाये कि यह संस्था  
 के आवेदन पर विचार करें।

ग्राम्य भारती विद्यापीठ

अतः यह विभाग यह प्रमाणपत्र प्राचार्य/अध्यक्ष, शास्त्री निकाय हरदी बाजार, बिलासपुर  
 महाविद्यालय/समिति को प्रदान करता है जिससे कि यह विश्वविद्यालय अधिनियम को धारा  
 26(1)(v) के प्रावधानों के अनुसार इस प्रमाणपत्र के साथ आवेदन करें।


आवश्यक शर्तें निम्नानुसार हैं :-

- 1। महाविद्यालय शासन से अनुदान की मांग नहीं करेगा।
- 2। महाविद्यालय नो प्रॉफिट नो लास के आधार पर चलाया जायेगा।
- 3। प्रवेश फेरिट के आधार पर दिया जायेगा।
- 4। गुणानुक्रम से आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाना चाहिये चाहे उनका भार उन पर डाला जाये जिनकी आर्थिक रूप से भुगतान करने की क्षमता अधिक है।
- 5। शासन के निर्देशों एवं समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पूर्णतः पालन करना होगा।
6. प्रत्येक विषय में बार-बार शिक्षकों की नियुक्तियाँ की जायें।

sd/-  
 अतिरिक्त संचालक  
 वास्ते आपुक्त उच्च शिक्षा म.प्र.  
 भोपाल म.प्र.।  
 भोपाल, दिनांक 23/12/95

पृ. क्रमांक/ 7062  
 प्रतिलिपि:-

- 1। प्राचार्य/अध्यक्ष/ग्राम्य भारती विद्यापीठ हरदीबाजार जिला बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवेदन कार्यावाही हेतु।
  - 2। कुलतय्य गुरु घोसीदास वि. वि. बिलासपुर को सूचनार्थ एवं धारा 24(1)(1) के अन्तर्गत शा. प्र. प्रतिवेदन भेजने हेतु।
  - 3। सचिव, म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग को और उनके सहायक को सूचनार्थ एवं सूचनार्थ।
- टिप्पणी:- यह प्रमाण-पत्र किसी संस्था को नया विषय प्रारंभ करने/नयी कक्षाएं करने के लिए अतिरिक्त नहीं करता, बल्कि कि वि. वि./वि. वि. अधिनियम 1973 की धारा 24(1)(1) के अन्तर्गत अनुमति प्रदान नहीं करता।



sd/-  
 अतिरिक्त संचालक  
 22/12/95

कार्यालय आधुनिक उच्च शिक्षा म. प्र. शासन  
अभ्यासयोग वैश्विक संस्थाओं से संबंधित शाखा।

ई-2/94, महावीर नगर, भोपाल

प्रति-पत्र

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26(1) के अन्तर्गत

प्राचार्य ग्राम्य भारती विद्यापीठ हरदीबाजार

द्वारा पत्र क्रमांक 345/95 दिनांक 15.7.95 द्वारा इस विभाग को विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(1)(iv) के अन्तर्गत महावि. में सत्र 96-97 से नया अभ्यासयोग महाविद्यालय में निम्नलिखित अतिरिक्त विषयों को कक्षाएं प्रारंभ किये जाने के लिए आवेदन-पत्र प्रेषित किया।

विषय:- एम. एस्-सी. पूर्वा  
रसायन शास्त्र

सत्र:- 96-97

उक्त आवेदन-पत्र निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन दिनांक 12.12.95 पर विचार करने के उपरान्त यह विभाग संतुष्ट है कि विश्वविद्यालय को विश्व परिसर के प्रावधान 26(1)(iv) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अन्तर्गत तथा कार्य परिषद् को विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 24(1)(ii) के अन्तर्गत अनुमति दी जाये कि यह संस्था के आवेदन पर विचार करें।

ग्राम्य भारती विद्यापीठ  
हरदीबाजार

अतः यह विभाग यह प्रमाणपत्र प्राचार्य/अध्यक्ष, शासी निकाय महाविद्यालय/समिति को प्रदान करता है जिससे कि यह विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 26(1)(iv) के प्रावधानों के अनुसार इस प्रमाणपत्र के साथ आवेदन करें।

आवश्यक शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1. एम. एस्-सी. उत्तरार्द्ध के लिये

1. महाविद्यालय शासन से अनुदान को मांग नहीं करेगा।
2. महाविद्यालय नो ग्राफिट नो लास के आधार पर चलाया जायेगा।
3. प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जायेगा।
4. गुणानुक्रम में आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को प्रवेश दिया जाना चाहिये चाहे उनका भार उन पर डाला जाये जिनकी आर्थिक रूप से भुगतान करने की क्षमता अधिक है।
5. शासन के निर्देशों एवं समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पूर्णतः पालन करना होगा।

कुछ और उपकरणों और प्रयोगशाला की आवश्यकता।

2. उक्त विषय में 2 शिक्षकों की नियुक्ति करे

3. पुस्तकालय में एम. एस्-सी. स्तर के के लिये किताबें खरीदें।

4. एक वर्ष उपरान्त पुनः निरीक्षण कराया जायेगा।

S-1

अतिरिक्त संचालक

वास्ते आधुनिक उच्च शिक्षा म. प्र.

भोपाल म. प्र.

भोपाल, दिनांक 2-2-96

पृ. क्रमांक/ 657

प्रतिलिपि:-

1. प्राचार्य/अध्यक्ष ग्राम्य भारती विद्यापीठ, हरदीबाजार

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु  
गुरु गोपीदास वि. वि. धिलासपुर।

2. कुलसचिव अन्तर्गत शीघ्र प्रतिवेदन भेजने हेतु।

3. सचिव, म. प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग को और उनके संदर्भ क्र. के अनुसार आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ

टिप्पणी:- यह प्रमाणपत्र किसी संस्था को नया विषय प्रारंभ करने/नये कक्षाएं करने के लिए अधिस्त नहीं करता, जब तक कि वि. वि./वि. वि. अधिनियम 1973 की धारा 24(1)(ii) के अन्तर्गत अनुमति प्रदान नहीं करता।

442-196  
2-2-96

चन्द्रलेखा रघुवंशी  
अतिरिक्त संचालक

2-2-96

कार्यालय आपुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. शासन  
अमानसोप वैश्विक संस्थाओं के संबंधित कार्य।  
ई-2/84, महावीर नगर, भोपाल  
=====

प्रमाण-पत्र

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26(1) के अन्तर्गत

प्राचार्य ग्राम्य भारती विद्यापीठ हरदीबाजार

द्वारा पत्र क्रमांक 345/95 दिनांक 15.7.95 द्वारा इस विभाग को विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(1) के अन्तर्गत महाविद्यालय में सत्र 96-97 से नया अमानसोप महाविद्यालय में निम्नलिखित अतिरिक्त विषयों की कक्षाएं प्रारंभ किये जाने के लिए आवेदन-पत्र प्रेषित किया।

विषय:- एम. एस्-सी. पूर्वा। शैतिक शास्त्र सत्र:- 96-97

उक्त आवेदन-पत्र निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन दिनांक 2.12.95 पर विचार करने के उपरान्त यह विभाग संतुष्ट है कि विश्वविद्यालय को विद्या परिषद् के प्रावधान 26(1) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अन्तर्गत तथा कार्य परिषद् को विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 24(1) के अन्तर्गत अनुमति दी जाये कि यह संस्था के आवेदन पर विचार करें।

ग्राम्य भारती विद्यापीठ

अतः यह विभाग यह प्रमाणपत्र प्राचार्य/अध्यक्ष, शासी निकाय हरदीबाजार महाविद्यालय/समिति को प्रदान करता है जिससे कि यह विश्वविद्यालय अधिनियम को धारा 26(1) के प्रावधानों के अनुसार इस प्रमाणपत्र के साथ आवेदन करें।

आवश्यक शर्तें निम्नानुसार हैं :-

- 1। महाविद्यालय शासन से अनुदान की मांग नहीं करेगा।
- 2। महाविद्यालय नो ग्राफिट नो लास के आधार पर चलाया जायेगा।
- 3। प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जायेगा।
- 4। गुणानुक्रम में आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं को प्रवेश-दिया जाना चाहिये चाहे उनका भार उन पर डाला जावे जिनकी आर्थिक रूप से भुगतान करने की क्षमता अधिक है।
- 5। शासन के निर्देशों एवं समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पूर्णतः पालन करना होगा।
- 1। भवन, स्टाफ एवं पुस्तकालय सुविधाओं में विस्तार की आवश्यकता है।
- 2। एक वर्ष उपरान्त पुनः निरीक्षण कराया जायेगा।

sd/-

अतिरिक्त संचालक  
वात्से आपुक्त उच्च शिक्षा म.प्र.  
भोपाल म.प्र.।

भोपाल, दिनांक 2-2-96

पू. क्रमांक/ 650

प्रतिलिपि:-

1। प्राचार्य/शासी निकाय ग्राम्य भारती विद्यापीठ, हरदीबाजार को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2। कलसचिव गुह मीरी शास वि. वि. बिलासपुर को सूचना एवं धारा 24(1) के अन्तर्गत शीघ्र प्रतिवेदन भेजने हेतु।

3। सचिव, म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग को और उनके संदर्भ क्र. के अनुसार आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनाएं

टिप्पणी:- यह प्रमाण-पत्र जिसी संस्था को नया विषय प्रारंभ करने/नयी कक्षाएं करने के लिए अधिकृत नहीं करता, जबतक कि वि. वि./वि. वि. अधिनियम 1973 की धारा 24(1) के अन्तर्गत संवेदना प्रदान नहीं करता।

443196  
9-2-96

चन्द्रलेखा रघुवंशी

अतिरिक्त संचालक  
25/1/96

कार्यालय आपुक्त उच्च शिक्षा म. प्र. शासन  
अध्यापकीय वैयक्तिक संस्थाओं से संबंधित शाखा।

ई-2/94, महात्तोर नगर, भोपाल  
=====

**प्रति-पत्र**

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26(1) के अन्तर्गत

प्राचार्य **ग्राम्य भारती विद्यापीठ हरदीबाजार**

धारा पत्र क्रमांक 345/95 दिनांक 5.7.95 द्वारा इस विभाग को विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(1) के अन्तर्गत महावि. में सत्र 96-97 से नया अध्यापकीय महाविद्यालय में निम्नलिखित अतिरिक्त विषयों को कक्षाएं प्रारंभ किये जाने के लिए आवेदन-पत्र प्रेषित किया।

विषय:- **एम. एल. सी. पूर्वा।** सत्र:- 96-97  
**रसायन शास्त्र**

उक्त आवेदन-पत्र निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन दिनांक 12.12.95 पर विचार करने के उपरान्त यह विभाग संतुष्ट है कि विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26(1) के अन्तर्गत तथा कार्य परिच्छेद को विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 24(1) के अन्तर्गत अनुमति दी जाये कि यह संस्था के आवेदन पर विचार करें।

**ग्राम्य भारती विद्यापीठ  
हरदीबाजार**

अतः यह विभाग यह प्रमाणपत्र प्राचार्य/अध्यक्ष, शासी निकाय महाविद्यालय/समिति को प्रदान करता है जिससे कि यह विश्वविद्यालय अधिनियम को धारा 26(1) के प्रावधानों के अनुसार इस प्रमाणपत्र के साथ आवेदन करें।

आवश्यक शर्तें निम्नानुसार हैं :-

- 1। महाविद्यालय शासन से अनुदान की मांग नहीं करेगा **सूख और उपकरणों और प्रयोगशाला की आवश्यकता।**
- 2। महाविद्यालय नो प्रॉफिट नो लास के आधार पर चलाया जायेगा।
- 3। प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जायेगा।
- 4। गुणानुक्रम में आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाना चाहिये चाहे उनका भार उन पर डाला जाये जिनकी आर्थिक रूप से भुगतान करने की क्षमता अधिक है।
- 5। शासन के निर्देशों एवं समय-समय पर किये गये निर्देशों का पूर्णतः पालन करना होगा।
- 2। उक्त विषय में 2 शिक्षकों की नियुक्ति करे
- 3। पुस्तकालय में एम. एल. सी. स्तर के के लिये किताबें खरीदें।
- 4। एक वर्ष उपरान्त पुनः निरीक्षण कराया जायेगा।

S-11

अतिरिक्त संचालक  
वास्तो आपुक्त उच्च शिक्षा म. प्र.  
भोपाल म. प्र.।  
भोपाल, दिनांक 2-2-96

प. क्रमांक/ (65)  
प्रतिनिधि:-

- 1। प्राचार्य/अध्यक्ष **ग्राम्य भारती विद्यापीठ, हरदीबाजार** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के हेतु **गुरु गोती दास वि. वि. विलासपुर।**
  - 2। कुलसचिव को सूचनार्थ एवं धारा 24(1) के अन्तर्गत शीघ्र प्रतिवेदन भेजने हेतु।
  - 3। सचिव, म. प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग को और उनके मंडल क्र. के अनुसार आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ
- टिप्पणी:- यह प्रमाणपत्र किसी संस्था को नया विषय प्रारंभ करने/नया कक्षाएं करने के लिए अधिपूत नहीं करता, बसतक कि वि. वि. अधिनियम 1973 की धारा 24(1) के अन्तर्गत प्रदान नहीं करता।

442/96  
9-2-96

**चन्द्रलेखा रघुवंशी**  
अतिरिक्त संचालक  
25/1/96



" कायलिय आयुक्त उच्चशिक्षा मण्डलशासन"  
अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं से संबंधित शाखा  
हिन्दी भवन श्यामला हिल्स, भोपाल.

प्रमाण-पत्र  
=====

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26 11 के अंतर्गत

प्राचार्य **ग्राम्यभारती विद्यापीठ हरदीबाजार विवासापुर**  
द्वारा पत्र क्रमांक **नि** दिनांक **नि** द्वारा इस विभाग को  
वि०वि० अधिनियम 1973 की धारा 26 11 15 के अंतर्गत **व्यवस्थापन** में  
सत्र 98-99 से नया अशासकीय महाविद्यालय में निम्नलिखित अतिरिक्त  
विषयों की कक्षाएं प्रारंभ किए जाने के लिए आवेदन-पत्र प्रेषित किया है।

|       |                                                                |      |       |
|-------|----------------------------------------------------------------|------|-------|
| विषय: | - एम.ए. पू. / अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र            | सत्र | 98-99 |
|       | - एम.एस.सी. पू. विज्ञान                                        |      | 98-99 |
|       | - बी.ए. प्रथम इतिहास                                           |      | 98-99 |
|       | - बी.ए.सी. प्रथम-सैरीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स,<br>कम्प्यूटर साइंस |      | 98-99 |

उक्त आवेदन पत्र निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन दिनांक **31.8.99** पर  
विचार करने के उपरांत यह विभाग संतुष्ट है कि वि०वि० की विद्वत परिषद के  
प्रावधान 26 11 15 वि०वि० अधिनियम 1973 के अंतर्गत पृथक कार्य परिषद के  
वि०वि० अधिनियम के प्रावधान 24 12 के अंतर्गत एक वर्ष के लिए अस्थाई अनुमति  
दो जाये कि यह संस्था के आवेदन पर विचार करें.

अतः यह विभाग यह प्रमाण-पत्र प्राचार्य/ अध्यक्ष, शासकीय महाविद्यालय **ग्राम्य भारती-  
विवासापुर/ विद्यापीठ**  
समिति को प्रदान करता है, जिससे कि यह वि०वि० अधिनियम की धारा-26 11 **हरदीबाजार**  
15 के प्रावधानों के अनुसार इस प्रमाण-पत्र के साथ आवेदन करें आवश्यक शर्तें निम्ना-  
नुसार हैं:

- 1- सत्र - से प्रवेश प्रारंभ करने के पूर्व शैक्षणिक स्टाफ की पूरी  
व्यवस्था हो.
- 2- प्रयोगशाला को संपूर्ण सुविधाएं प्रवेश प्रारंभ करने के पूर्व पूर्ण की जायें जिससे सत्र  
आरंभ होने पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हों.
- 3- संस्था वित्तीय संसाधनों की जानकारी इस कायलिय को 1 माह में उपलब्ध -  
करायें तथा इससे आवश्यक प्रमाणित दस्तावेज इस कायलिय को उपलब्ध करायें तीन  
वर्षों के अनुमानित बजट प्रस्ताव की जानकारी दें.



कार्यालय आधुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. शासन  
 अशासकीय वैश्विक संस्थाओं से संबंधित शाखा  
 ई-2/94, महावीर नगर, भोपाल  
 =====

**प्रतिपत्र**

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26(1) के अन्तर्गत

प्राचार्य ग्राम्य भारती विद्यापीठ हरदीबाजार, बिलासपुर

द्वारा पत्र क्रमांक दिनांक 7.8.95 द्वारा इस विभाग को विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(1)(iv) के अन्तर्गत महावि. में सत्र 96-97 से नया अशासकीय महाविद्यालय में निम्नलिखित अतिरिक्त विषयों को कक्षाएं प्रारंभ किये जाने के लिए आवेदन-पत्र प्रेषित किया।

विषय:- एम.एस.सी. (पूर्वा.) सत्र:- 96-97

वनस्पति शा. एवं प्राणि शास्त्र

उक्त आवेदन-पत्र निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन दिनांक 20.11.95 पर विचार करने के उपरान्त यह विभाग संतुष्ट है कि विश्वविद्यालय को विश्व परिसर के प्रावधान 26(1)(iv) विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अन्तर्गत तथा कार्य परिषद् को विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 24(xii) के अन्तर्गत अनुमति दी जाये कि यह संस्था के आवेदन पर विचार करें।

ग्राम्य भारती विद्यापीठ

अतः यह विभाग यह प्रमाणपत्र प्राचार्य/अध्यक्ष, शासी निकाय हरदी बाजार, बिलासपुर महाविद्यालय/समिति को प्रदान करता है जिससे कि यह विश्वविद्यालय अधिनियम को धारा 26(1)(iv) के प्रावधानों के अनुसार इस प्रमाणपत्र के साथ आवेदन करें।

आवश्यक शर्तें निम्नानुसार हैं :-

- 1। महाविद्यालय शासन से अनुदान की मांग नहीं करेगा।
- 2। महाविद्यालय नो प्रॉफिट नो लाभ के आधार पर चलाया जायेगा।
- 3। प्रवेश फेरिट के आधार पर दिया जायेगा।
- 4। गुणानुस्य में आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाना चाहिये चाहे उनका भार उन पर डाला जाये जिनको आर्थिक रूप से भुगतान करने की क्षमता अधिक है।
- 5। शासन के निर्देशों एवं समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पूर्णतः पालन करना होगा।
6. प्रत्येक विषय में चार-चार शिक्षकों की नियुक्तियां की जाये।

sdl-

अतिरिक्त संचालक  
 वास्ते आधुक्त उच्च शिक्षा म.प्र.  
 भोपाल म.प्र.।

भोपाल, दिनांक 23/12/95

प. क्रमांक/ 7062

प्रतिलिपि:-

1। प्राचार्य/अध्यक्ष ग्राम्य भारती विद्यापीठ हरदीबाजार जिला बिलासपुर

को सूचनार्थ एवं आवेदन कार्यवाही हेतु।

2। कुलसचिव गुरु धासीदास वि. वि. बिलासपुर को सूचनार्थ एवं धारा 24(xii) के अन्तर्गत शा. प्र. प्रतिवेदन भेजने हेतु।


3। सचिव, म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग को और उनके संदर्भ क्र. के अनुसार आवेदन कार्यवाही एवं सूचनार्थ

दिये जाये:- यह प्राणि-पत्र किसी संस्था को नया विषय प्रारंभ करने/नया कक्षाएं करने के लिए अतिरिक्त नहीं करता, बसंत कि. वि. वि. अधिनियम 1973 की धारा 24(xii) के अन्तर्गत अनुमति प्रदान नहीं करता।

sdl

अतिरिक्त संचालक

22/12/95



कार्यालय आपुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. शासन  
 अमानसोप वैश्विक संस्थाओं से संबंधित कार्य।  
 ई-2/94, महावीर नगर, भोपाल  
 =====

**प्रतिपत्र**

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26(1) के अन्तर्गत  
 प्राचार्य ग्राम्य भारती विद्यापीठ हरदीबाजार, बिलासपुर  
 द्वारा पत्र क्रमांक दिनांक 7.8.95 द्वारा इस विभाग को विश्वविद्यालय अधिनियम  
 1973 की धारा 26(1)(b) के अन्तर्गत महावि. में सत्र 96-97 से नया  
 अमानसोप महाविद्यालय में निम्नलिखित अतिरिक्त विषयों को कक्षाएं प्रारंभ किये जाने के  
 लिए आवेदन-पत्र प्रेषित किया।

विषय:- एम. एन. सी. [पूर्वा.] सत्र:- 96-97

वनस्पति शा. एवं प्राणि शास्त्र

उक्त आवेदन-पत्र निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन दिनांक 20.11.95 पर विचार करने  
 के उपरान्त यह विभाग संतुष्ट है कि विश्वविद्यालय को विद्या परिषद् के प्रावधान  
 26(1)(b) विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अन्तर्गत तथा कार्य परिषद् को विश्ववि-  
 द्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 24(1)(1) के अन्तर्गत अनुमति दी जाये कि यह संस्था  
 के आवेदन पर विचार करें।

ग्राम्य भारती विद्यापीठ

अतः यह विभाग यह प्रमाणपत्र प्राचार्य/अध्यक्ष, शास्त्री निकाय हरदी बाजार, बिलासपुर  
 महाविद्यालय/समिति को प्रदान करता है जिससे कि यह विश्वविद्यालय अधिनियम को धारा  
 26(1)(b) के प्रावधानों के अनुसार इस प्रमाणपत्र के साथ आवेदन करें।


आवश्यक शर्तें निम्नानुसार हैं :-

- 1। महाविद्यालय शासन से अनुदान की मांग नहीं करेगा।
- 2। महाविद्यालय नो प्रॉफिट नो लास के आधार पर चलाया जायेगा।
- 3। प्रवेश फेरिट के आधार पर दिया जायेगा।
- 4। गुणानुसूय में आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाना चाहिये चाहे उनका भार उन पर डाला जाये जिनकी आर्थिक रूप से भुगतान करने की क्षमता अधिक है।
- 5। शासन के निर्देशों एवं समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पूर्णतः पालन करना होगा।
6. प्रत्येक विषय में बार-बार शिक्षकों की नियुक्तियाँ की जाये।

sd/-  
 अतिरिक्त संचालक  
 वास्ते आपुक्त उच्च शिक्षा म.प्र.  
 भोपाल म.प्र.।  
 भोपाल, दिनांक 23/12/95

पृ. क्रमांक/ 7062  
 प्रतिलिपि:-

- 1। प्राचार्य/अध्यक्ष/ग्राम्य भारती विद्यापीठ हरदीबाजार जिला बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवेदन कार्यावाही हेतु।
- 2। कुलतय्य गुरु घोसीदास वि. वि. बिलासपुर को सूचनार्थ एवं धारा 24(1)(1) के अन्तर्गत शा. प्रतिवेदन भेजने हेतु।
- 3। सचिव, म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग को और उनके सहायक ज. के अनुसार आवेदन कार्यावाही एवं सूचनार्थ दिवस:- यह प्रमाण-पत्र जिला संस्था को नया विषय प्रारंभ करने/नयी कक्षाएं करने के लिए अतिरिक्त नहीं करता, जहाँ कि वि. वि./वि. वि. अधिनियम 1973 की धारा 24(1)(1) के अन्तर्गत अनुमति प्रदान नहीं करता।



sd/-  
 अतिरिक्त संचालक  
 22/12/95

कार्यालय आधुनिक उच्च शिक्षा म. प्र. शासन  
अभ्यासयोग वैश्विक संस्थाओं से संबंधित शाखा।

ई-2/94, महावीर नगर, भोपाल

प्रति-पत्र

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26(1) के अन्तर्गत

प्राचार्य ग्राम्य भारती विद्यापीठ हरदीबाजार

द्वारा पत्र क्रमांक 345/95 दिनांक 15.7.95 द्वारा इस विभाग को विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(1) के अन्तर्गत महावि. में सत्र 96-97 से नया अभ्यासयोग महाविद्यालय में निम्नलिखित अतिरिक्त विषयों को कक्षाएं प्रारंभ किये जाने के लिए आवेदन-पत्र प्रेषित किया।

विषय:- एम. एस्-सी. पूर्वा  
रसायन शास्त्र

सत्र:- 96-97

उक्त आवेदन-पत्र निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन दिनांक 12.12.95 पर विचार करने के उपरान्त यह विभाग संतुष्ट है कि विश्वविद्यालय को विश्व परिसर के प्रावधान 26(1) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अन्तर्गत तथा कार्य परिषद् को विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 24(1) के अन्तर्गत अनुमति दी जाये कि यह संस्था के आवेदन पर विचार करें।

ग्राम्य भारती विद्यापीठ  
हरदीबाजार

अतः यह विभाग यह प्रमाणपत्र प्राचार्य/अध्यक्ष, शासी निकाय महाविद्यालय/समिति को प्रदान करता है जिससे कि यह विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 26(1) के प्रावधानों के अनुसार इस प्रमाणपत्र के साथ आवेदन करें।

आवश्यक शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1. एम. एस्-सी. उत्तरार्द्ध के लिये

1. महाविद्यालय शासन से अनुदान को मांग नहीं करेगा।
2. महाविद्यालय नो ग्राफिट नो लास के आधार पर चलाया जायेगा।
3. प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जायेगा।
4. गुणानुक्रम में आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को प्रवेश दिया जाना चाहिये चाहे उनका भार उन पर डाला जाये जिनकी आर्थिक रूप से भुगतान करने की क्षमता अधिक है।
5. शासन के निर्देशों एवं समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पूर्णतः पालन करना होगा।

कुछ और उपकरणों और प्रयोगशाला की आवश्यकता।

2. उक्त विषय में 2 शिक्षकों की नियुक्ति करे

3. पुस्तकालय में एम. एस्-सी. स्तर के के लिये किताबें खरीदें।

4. एक वर्ष उपरान्त पुनः निरीक्षण कराया जायेगा।

S-1

अतिरिक्त संचालक

वास्ते आधुनिक उच्च शिक्षा म. प्र.

भोपाल म. प्र.

भोपाल, दिनांक 2-2-96

पृ. क्रमांक/ 657

प्रतिलिपि:-

1. प्राचार्य/अध्यक्ष ग्राम्य भारती विद्यापीठ, हरदीबाजार

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु  
गुरु गोपीदास वि. वि. विलासपुर।

2. कुलसचिव अन्तर्गत शा. प्र. प्रतिवेदन भेजने हेतु।

3. सचिव, म. प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग को और उनके संदर्भ क्र. के अनुसार आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ

टिप्पणी:- यह प्रमाणपत्र किसी संस्था को नया विषय प्रारंभ करने/नया कक्षाएं करने के लिए अधिस्त नहीं करता, जबकि कि वि. वि. अधिनियम 1973 की धारा 24(1) के अन्तर्गत प्रदान नहीं करता।

442-196  
2-2-96

चन्द्रलेखा रमेश्वरी  
अतिरिक्त संचालक

25/1/96

कार्यालय आपुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. शासन  
अज्ञानशोष वैज्ञानिक संस्थाओं के संबंधित शायी।  
ई-2/84, महावीर नगर, भीपाल  
=====

प्रमाण-पत्र

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26(1) के अन्तर्गत

प्राचार्य ग्राम्य भारती विद्यापीठ हरदीबाजार

द्वारा पत्र क्रमांक 345/95 दिनांक 15.7.95 द्वारा इस विभाग को विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(1) के अन्तर्गत महाविद्यालय में सत्र 96-97 से नया अज्ञानशोष महाविद्यालय में निम्नलिखित अतिरिक्त विषयों की कक्षाएं प्रारंभ किये जाने के लिए आवेदन-पत्र प्रेषित किया।

विषय:- एम. एस्-सी. पूर्वा। शैतिक शास्त्र सत्र:- 96-97

उक्त आवेदन-पत्र निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन दिनांक 2.12.95 पर विचार करने के उपरान्त यह विभाग संतुष्ट है कि विश्वविद्यालय को विद्या परिषद् के प्रावधान 26(1) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अन्तर्गत तथा कार्य परिषद् को विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 24(1) के अन्तर्गत अनुमति दी जाये कि यह संस्था के आवेदन पर विचार करें।

ग्राम्य भारती विद्यापीठ

हरदीबाजार

अतः यह विभाग यह प्रमाणपत्र प्राचार्य/अध्यक्ष, शासी निकाय महाविद्यालय/समिति को प्रदान करता है जिससे कि यह विश्वविद्यालय अधिनियम को धारा 26(1) के प्रावधानों के अनुसार इस प्रमाणपत्र के साथ आवेदन करें।

आवश्यक शर्तें निम्नानुसार हैं :-

- 1। महाविद्यालय शासन से अनुदान की मांग नहीं करेगा।
- 2। महाविद्यालय नो ग्राफिट नो लास के आधार पर चलाया जायेगा।
- 3। प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जायेगा।
- 4। गुणानुक्रम में आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं को प्रवेश-दिया जाना चाहिये चाहे उनका भार उन पर डाला जावे जिनकी आर्थिक रूप से भुगतान करने की क्षमता अधिक है।
- 5। शासन के निर्देशों एवं समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पूर्णतः पालन करना होगा।
- 1। भवन, स्टाफ एवं पुस्तकालय सुविधाओं में विस्तार की आवश्यकता है।
- 2। एक वर्ष उपरान्त पुनः निरीक्षण कराया जायेगा।

sd/-

अतिरिक्त संचालक  
वास्ते आपुक्त उच्च शिक्षा म.प्र.  
भीपाल म.प्र.।

भीपाल, दिनांक 2-2-96

पू. क्रमांक/ 650

प्रतिलिपि:-

1। प्राचार्य/शासी निकाय, ग्राम्य भारती विद्यापीठ, हरदीबाजार को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2। कलसचिव, गुह मीसीएस वि. वि. बिलासपुर को सूचना एवं धारा 24(1) के अन्तर्गत शीघ्र प्रतिवेदन भेजने हेतु।

3। सचिव, म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग को और उनके संदर्भ क्र. के अनुसार आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनाएं

टिप्पणी:- यह प्रमाण-पत्र जिसी संस्था को नया विषय प्रारंभ करने/नया कक्षाएं करने के लिए अधिकृत नहीं करता, जबतक कि वि. वि./वि. वि. अधिनियम 1973 की धारा 24(1) के अन्तर्गत संवेदना प्रदान नहीं करता।

443196  
9-2-96

चन्द्रलेखा रघुवंशी

अतिरिक्त संचालक  
25/1/96

कार्यालय आपुक्त उच्च शिक्षा म. प्र. शासन  
अध्यापकीय वैयक्तिक संस्थाओं से संबंधित शाखा।

ई-2/94, महात्तोर नगर, भोपाल  
=====

**प्रति-पत्र**

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26(1) के अन्तर्गत

प्राचार्य ग्राम्य भारती विद्यापीठ हरदीबाजार

धारा पत्र क्रमांक 345/95 दिनांक 5.7.95 द्वारा इस विभाग को विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(1) के अन्तर्गत महावि. में सत्र 96-97 से नया अध्यापकीय महाविद्यालय में निम्नलिखित अतिरिक्त विषयों को कक्षाएं प्रारंभ किये जाने के लिए आवेदन-पत्र प्रेषित किया।

विषय:- **एम. एल. सी. पूर्वा।** सत्र:- 96-97  
**रसायन शास्त्र**

उक्त आवेदन-पत्र निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन दिनांक 12.12.95 पर विचार करने के उपरान्त यह विभाग संतुष्ट है कि विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26(1) के अन्तर्गत तथा कार्य परिच्छेद को विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 24(1) के अन्तर्गत अनुमति दी जाये कि यह संस्था के आवेदन पर विचार करें।

**ग्राम्य भारती विद्यापीठ  
हरदीबाजार**

अतः यह विभाग यह प्रमाणपत्र प्राचार्य/अध्यक्ष, शासी निकाय महाविद्यालय/समिति को प्रदान करता है जिससे कि यह विश्वविद्यालय अधिनियम को धारा 26(1) के प्रावधानों के अनुसार इस प्रमाणपत्र के साथ आवेदन करें।

आवश्यक शर्तें निम्नानुसार हैं :-

- 1। महाविद्यालय शासन से अनुदान की मांग नहीं करेगा **सूख और उपकरणों और प्रयोगशाला की आवश्यकता।**
- 2। महाविद्यालय नो प्रॉफिट नो लास के आधार पर चलाया जायेगा।
- 3। प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जायेगा।
- 4। गुणानुक्रम में आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाना चाहिये चाहे उनका भार उन पर डाला जाये जिनकी आर्थिक रूप से भुगतान करने की क्षमता अधिक है।
- 5। शासन के निर्देशों एवं समय-समय पर किये गये निर्देशों का पूर्णतः पालन करना होगा।
- 2। उक्त विषय में 2 शिक्षकों की नियुक्ति करे
- 3। पुस्तकालय में एम. एल. सी. स्तर के के लिये किताबें खरीदें।
- 4। एक वर्ष उपरान्त पुनः निरीक्षण कराया जायेगा।

S-1

अतिरिक्त संचालक  
वास्तो आपुक्त उच्च शिक्षा म. प्र.  
भोपाल म. प्र.।  
भोपाल, दिनांक 2-2-96

प. क्रमांक/ (65)  
प्रतिनिधि:-

1। प्राचार्य/अध्यक्ष **ग्राम्य भारती विद्यापीठ, हरदीबाजार**

- 1। को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु **गुरु गोती दास वि. वि. विलासपुर।**
  - 2। कुलसचिव को सूचनार्थ एवं धारा 24(1) के अन्तर्गत शीघ्र प्रतिवेदन भेजने हेतु।
  - 3। सचिव, म. प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग को और उनके मंदिर क्र. के अनुसार आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ
- टिप्पणी:- यह प्रमाणपत्र किसी संस्था को नया विषय प्रारंभ करने/नया कक्षाएं करने के लिए अधिपूत नहीं करता, बसतक कि वि. वि. अधिनियम 1973 की धारा 24(1) के अन्तर्गत प्रदान नहीं करता।

442/96  
9-2-96

**चन्द्रलेखा रघुवंशी**  
अतिरिक्त संचालक  
25/1/96

C E R T I F I C A T E

(Under the proviso to S.26 (1) (v), Vishwavidyalaya Adhiniyam 1973)

Whereas the Principal/~~xxxxxxx~~ ., Gramya Bharti Vidyapeeth,  
Hardibazar.(Bilaspur)..... has applied to the Ayog on 31.3.90...  
for the grant of a certificate under the proviso to S.26(1)(v) V.V.  
Adhiniyam, 1973 with a ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~  
subject/~~starting~~ ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ .. M.Sc.. (Pre.).  
**Mathematics**..... ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~

~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ xx .....  
From the session .....90-91.....

Whereas on considering the application/~~the report of the~~  
~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ dated 31.3.90..... the Ayog is satisfied  
that the Academic Council of the University may be permitted u/s 26  
(1)(v) V.V. Adhiniyam, and the Executive Council u/s 24(xii) thereof  
to consider the prayer of the Institution.

Therefore, the Ayog hereby gives this certificate to the  
Principal ~~xxxxxxx~~ **Gramya Bharti Bidyapeeth**  
**Hardibazar (Bilaspur)**..... College/Society  
..... for enabling him to apply to  
the University as required by S.26(1) (v), V.V. Adhiniyam alongwith  
this certificate.

By order of the Ayog

Sd/-  
(O.N.Mathur)  
Secretary

Endt. No. S/11/Affi/ 9025 dated 10.12.90  
copy is forwarded to:  
1/ The Principal/~~xxxxxxx~~ **Gramya Bharti Vidyapeeth Hardibazar (Bilaspur)**

for information and necessary action.  
2/ The Registrar, **Guru Ghasidas University, Bilaspur**,.....  
for information and necessary action. Report u/s 24 (xii)  
may please be issued immediately.

3/ The Secretary to Govt. M.P. Education Department Bhopal for  
information with reference to Education Dept No.  
ca. ~~xxxx~~  
Secretary

Note: Grant of this certificate does not entitle an  
institution to commence teaching in new subjects/starting  
additional classes/to establish a new institution, so  
long as the University does not grant affiliation u/s  
24 (xii), V.V. Adhiniyam.

.....

" कायलिय आयुक्त उच्चशिक्षा मण्डलशासन"  
अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं से संबंधित शाखा  
हिन्दी भवन श्यामला हिल्स, भोपाल.

प्रमाण-पत्र  
=====

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26 11 के अंतर्गत

प्राचार्य **ग्राम्यभारती विद्यापीठ हरदीबाजार विवासापुर**  
द्वारा पत्र क्रमांक **नि** दिनांक **नि** द्वारा इस विभाग को  
वि०वि० अधिनियम 1973 की धारा 26 11 15 के अंतर्गत **व्यवस्थापक** में  
सत्र 98-99 से नया अशासकीय महाविद्यालय में निम्नलिखित अतिरिक्त  
विषयों की कक्षाएं प्रारंभ किए जाने के लिए आवेदन-पत्र प्रेषित किया है।

|       |                                                                |      |       |
|-------|----------------------------------------------------------------|------|-------|
| विषय: | - एम.ए. पू. / अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र            | सत्र | 98-99 |
|       | - एम.एस.सी. पू. विज्ञान                                        |      | 98-99 |
|       | - बी.ए. प्रथम इतिहास                                           |      | 98-99 |
|       | - बी.ए.सी. प्रथम-सैरीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स,<br>कम्प्यूटर साइंस |      | 98-99 |

उक्त आवेदन पत्र निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन दिनांक **31.8.99** पर  
विचार करने के उपरांत यह विभाग संतुष्ट है कि वि०वि० की विद्वत परिषद के  
प्रावधान 26 11 15 वि०वि० अधिनियम 1973 के अंतर्गत पृथक कार्य परिषद के  
वि०वि० अधिनियम के प्रावधान 24 12 के अंतर्गत एक वर्ष के लिए अस्थाई अनुमति  
दी जाये कि यह संस्था के आवेदन पर विचार करें.

अतः यह विभाग यह प्रमाण-पत्र प्राचार्य/ अध्यक्ष, शासकीय महाविद्यालय **ग्राम्य भारती-  
विवासापुर/ विद्यापीठ**  
समिति को प्रदान करता है, जिससे कि यह वि०वि० अधिनियम की धारा-26 11 **हरदीबाजार**  
15 के प्रावधानों के अनुसार इस प्रमाण-पत्र के साथ आवेदन करें आवश्यक शर्तें निम्ना-  
नुसार हैं:

- 1- सत्र - से प्रवेश प्रारंभ करने के पूर्व शैक्षणिक स्टाफ की पूरी  
व्यवस्था हो.
- 2- प्रयोगशाला को संपूर्ण सुविधाएं प्रवेश प्रारंभ करने के पूर्व पूर्ण की जायें जिसे सत्र  
आरंभ होने पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हों.
- 3- संस्था वित्तीय संसाधनों की जानकारी इस कायलिय को 1 माह में उपलब्ध -  
करायें तथा इससे आवश्यक प्रमाणित दस्तावेज इस कायलिय को उपलब्ध करायें तीन  
वर्षों के अनुमानित बजट प्रस्ताव की जानकारी दें.

**समाप्त-पत्र**

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26(1) के अन्तर्गत

प्राचार्य ग्राम्य भारती विद्यापीठ हरदीबाजार बिलासपुर

द्वारा पत्र क्रमांक 365/95 दिनांक 29.7.95 द्वारा इस विभाग को विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(1)(iv) के अन्तर्गत महाविद्यालय में सत्र 96-97 से नया आकाशवाणी महाविद्यालय में निम्नलिखित अतिरिक्त विषयों की कक्षाएं प्रारंभ किये जाने के लिए आवेदन-पत्र प्रेषित किया।

विषय:- एम. ए. पूर्वार्द्ध भूगोल सत्र:- 96-97

उक्त आवेदन-पत्र निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन दिनांक 22.2.95 पर विचार करने के उपरान्त यह विभाग संतुष्ट है कि विश्वविद्यालय को विश्व परिसर के प्रावधान 26(1)(iv) के अन्तर्गत तथा कार्य परिषद को विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 24(1)(a) के अन्तर्गत अनुमति दी जाये कि यह संस्था के आवेदन पर विचार करें।

अतः यह विभाग यह प्रमाणपत्र प्राचार्य/अध्यक्ष, शासी निकाय ग्राम्य भारती विद्यापीठ हरदी बाजार बिलासपुर महाविद्यालय/समिति को प्रदान करता है जिससे कि यह विश्वविद्यालय अधिनियम को धारा 26(1)(iv) के प्रावधानों के अनुसार इस प्रमाणपत्र के साथ आवेदन करें।

आवश्यक शर्तें निम्नानुसार हैं :-

- 1। महाविद्यालय शासन से अनुदान को मांग नहीं करेगा।
- 2। महाविद्यालय नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर चलाया जाएगा।
- 3। प्रवेश फेरिट के आधार पर दिया जाएगा।
- 4। गुणानुक्रम में आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाना चाहिये बाहे उनका भार उन पर डाला जाये जिनकी आर्थिक रूप से भुगतान करने की क्षमता अधिक है।
- 5। शासन के निर्देशों एवं समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पूर्णतः पालन करना होगा।

अतिरिक्त संचालक  
 वास्ते आणुक्त उच्च शिक्षा म. प्र.  
 भोपाल म. प्र.

भोपाल, दिनांक 10.10.95

पृ. क्रमांक/ 556

प्रतिलिपि:-

1। प्राचार्य/अध्यक्ष ग्राम्य भारती विद्यापीठ हरदीबाजार, जिला बिलासपुर

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही के लिए।

2। कलकत्ता विश्व विद्यापीठ वि. वि. बिलासपुर को सूचनार्थ एवं धारा 24(1)(a) के अन्तर्गत शीघ्र प्रतिवेदन भेजो देत।

3। सचिव, म. प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग को और उनके संदर्भ क्र. के अनुसार आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ।

टिप्पणी:- यह प्रमाणपत्र किसी संस्था को नया विषय प्रारंभ करने/नए कक्षाएं करने के लिए अधिकृत नहीं करता, बल्कि कि प्र. वि. वि. अधिनियम 1973 की धारा 24(1)(a) के अन्तर्गत अनुमति प्रदान करने करता।

//मूलानी 6.10.95//

*(Handwritten Signature)*

अतिरिक्त संचालक

10/10/95



काभलिप आभुक्त उच्च शिक्षा म. प्र. शासन  
आशासकीय वैश्विक संस्थाओं से संबंधित शाखा

ई-2/94, महावीर नगर, भोपाल  
=====

प्रमाण-पत्र

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26(1) के अन्तर्गत

प्राचार्य ग्राम्य भारती विद्यापीठ हरदीबाजार बिलासपुर

द्वारा पत्र क्रमांक 365/95 दिनांक 29.7.95 द्वारा इस विभाग को विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(1)(iv) के अन्तर्गत महाविद्यालय में सत्र 96-97 से नया आशासकीय महाविद्यालय में निम्नलिखित अतिरिक्त विषयों की कक्षाएं प्रारंभ किये जाने के लिए आवेदन-पत्र प्रेषित किया।

विषय:- एम. ए. पूर्वार्द्ध भूगोल सत्र:- 96-97

उक्त आवेदन-पत्र निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन दिनांक 22.2.95 पर विचार करने के उपरान्त यह विभाग संतुष्ट है कि विश्वविद्यालय को विश्व परिषद् के प्रावधान 26(1)(iv) के अन्तर्गत तथा कार्य परिषद् को विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 24(1)(ii) के अन्तर्गत अनुमति दी जाये कि यह संस्था के आवेदन पर विचार करें।

अतः यह विभाग यह प्रमाणपत्र प्राचार्य/अध्यक्ष, शासी निकाय ग्राम्य भारती विद्यापीठ हरदी बाजार बिलासपुर महाविद्यालय/समिति को प्रदान करता है जिससे कि यह विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 26(1)(iv) के प्रावधानों के अनुसार इस प्रमाणपत्र के साथ आवेदन करें।

आवश्यक शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1. महाविद्यालय शासन से अनुदान की मांग नहीं करेगा।
2. महाविद्यालय नो ग्राफिट नो लाभ के आधार पर चलाया जायेगा।
3. प्रवेश फेरिट के आधार पर दिया जायेगा।
4. गुणानुक्रम में आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाना चाहिये चाहे उनका भार उन पर डाला जाये जिनकी आर्थिक रूप से भुगतान करने की क्षमता अधिक है।
5. शासन के निर्देशों एवं समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पूर्णतः पालन करना होगा।

अतिरिक्त संचालक

वास्ते आभुक्त उच्च शिक्षा म. प्र.

भोपाल म. प्र.

भोपाल, दिनांक 10.10.95

पृ. क्रमांक/ 556

प्रतिलिपि:-

1. प्राचार्य/अध्यक्ष ग्राम्य भारती विद्यापीठ हरदीबाजार, जिला बिलासपुर

को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2. कलसचिव गुरु शासीदास वि. वि. बिलासपुर को सूचना एवं धारा 24(1)(ii) के अन्तर्गत शीघ्र प्रतिवेदन भेजने हेतु।

3. सचिव, म. प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग को और उनके संदर्भ क्र. के अनुसार आवेदन कार्यवाही एवं सूचना हेतु।

टिप्पणी:- यह प्रमाण-पत्र किसी संस्था को नया विषय प्रारंभ करने/नया कक्षाएं करने के लिए अधिभूत नहीं करता, बसतः कि वि. वि./वि. वि. अधिनियम 1973 की धारा 24(1)(ii) के अन्तर्गत संवेदना प्रदान नहीं करता।

//मूलानी 6.10.95//

अतिरिक्त संचालक

7/10/95

# मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग

ई-2/84, अरेरा कालोनी, भोपाल

## प्रमाण-पत्र

(विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधान 26 (I) के अन्तर्गत)


प्राचार्य 'ग्राम्य भारती विद्यापीठ' हरदी बाजार 'बिलासपुर' द्वारा पत्र क्र.91/14 दिनांक...18.3.91... द्वारा आयोग को विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26 (I) (V) के अन्तर्गत 'मंडी विद्यालय' में सत्र... 1992-93... से नया शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में निम्नलिखित अतिरिक्त विषयों की कक्षाएं प्रारंभ किये जाने के लिए आवेदन-पत्र प्रेषित किया।

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| विषय:                               | सत्र: |
| बी.काम. प्रथम वर्ष                  | 92-93 |
| एम.ए. पूर्वार्ध समाप्ता. एवं हिन्दी | 92-93 |

उक्त आवेदन-पत्र निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन दिनांक... पर विचार करने के उपरान्त आयोग संतुष्ट है कि विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् के प्रावधान 26 (I) (V) विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत तथा कार्य परिषद् की विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधान 24 (XII) के अन्तर्गत अनुमति दी जाये कि वह संस्था के आवेदन पर विचार करें।

अतः आयोग यह प्रमाण-पत्र प्राचार्य/अध्यक्ष, शासकीय निकाय 'ग्राम्य भारती विद्यापीठ - हरदीबाजार बिलासपुर' महाविद्यालय/समिति को प्रदान करता है, जिससे कि वह विश्व-विद्यालय अधिनियम की धारा 26 (I) (V) के प्रावधानों के अनुसार इस प्रमाण-पत्र के साथ आवेदन करें।

नोट:- बी.काम. के लिये दो सहायक प्राध्यापक एवं लेटेस्ट बुक्स ₹ 20,000/- की क्रय करें अवगत कराये। इन शर्तों के साथ अस्थायी संबंधता प्रदान की जाती है।

आयोग के आदेशानुसार  
  
 (डॉ. ओ. एन. माथुर)  
 सचिव

पू. क्र.../सम्बद्धता/92/ 6023

दिनांक... 21/9/92


प्रतिलिपि :-


1. प्राचार्य/अध्यक्ष 'ग्राम्य भारती विद्यापीठ' हरदीबाजार बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. कुलसचिव 'गुल्शानीदास विद्यापीठ' बिलासपुर को सूचनार्थ एवं धारा 24 (XII) के अन्तर्गत शीघ्र प्रतिवेदन भेजने हेतु।
3. सचिव, म. प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग की ओर उनके संदर्भ क्र... के अनुसार आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ।

टिप्पणी:- यह प्रमाण-पत्र किसी संस्था को नया विषय प्रारंभ करने/नयी कक्षाएं प्रारंभ करने के लिए अधिकृत नहीं करता, जब तक कि विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 24 (XII) के अन्तर्गत सम्बद्धता प्रदान नहीं करता।

दे. प्र. वि. मू. -108-3,000-7-92

1/साह, 5.9.92//



  
 सचिव 19/9/92

# अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर(छ.ग.)



पुरानाहाईकोर्टभवन, बिलासपुर (छ.ग.) 495001,  
फोन : 07752-220031, फैक्स 07752-260294, ई-मेल : registrar@bilaspuruniversity.ac.in,  
वेबसाईट : www.bilaspuruniversity.ac.in

कमांक 856/अका./2021

बिलासपुर, दिनांक 12/11/2021

## आदेश

विश्वविद्यालय निरीक्षण समिति की अनुशंसा एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर की अनुमति के आधार पर शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय, हरदीबाजार, जिला-कोरबा को शैक्षणिक सत्र 2021-22 से नीचे उल्लेखित नवीन विषय/पाठ्यक्रम की अस्थायी सम्बद्धता विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित निम्न शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

| क्र. | विषय/पाठ्यक्रम           | छात्र संख्या |
|------|--------------------------|--------------|
| 01   | एम.कॉम-पूर्व (नवीन विषय) | 40           |

### निर्धारित शर्तें:-

1. छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश पत्र में उल्लेखित शर्तों की पूर्ती की जावे।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को संबद्धता) विनियम-2009 एवं 2012 में उल्लेखित की गई शर्तों का पालन किया जावे।
3. शासन के आदेशानुसार प्रवेश की तिथि मान्य होगी।

आदेशानुसार,

12-11-21

कुलसचिव

बिलासपुर, दिनांक 12/11/2021

पृ.कमांक 857/अका./2021

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
2. अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. परीक्षा नियंत्रक, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्राचार्य, शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय, हरदीबाजार, जिला-कोरबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

12/11/21

सहा.कुलसचिव(अका.)

